अंकेक्षण एवम् निरीक्षण प्रतिवेदन नगर पंचायत अर्की जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश.

अवधि 4/94 से 3/97

भाग- प्रथम

1. गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :- नगर पंचायत द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर जो कार्यवाही की गई थी उस पर निम्नलिखित टिप्पणियाँ अपेक्षित है।

क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 7/67 से 1/70 तक

पैरा न० 1 और 2 अनिर्णीत

ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2/70 से 3/72

पैरा न० 4 अनिर्णीत

ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/72 से 3/77

पैरा न० 5 अनिर्णीत
पैरा न० 9 अनिर्णीत
पैरा न० 11 अनिर्णीत
पैरा न० 12 अनिर्णीत
पैरा न० 13 अनिर्णीत

घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/77 से 3/81

पैरा नं० 8 अनिर्णीत
पैरा न० 9 अनिर्णीत
पैरा न० 10 अनिर्णीत
पैरा न० 11 अनिर्णीत

पैरा न० 12 (A) आंशिक निर्णीत : 400 बैग सीमेंट के क्रय करने हेतु मु० 11400/- रु० चैक न० 01643 और 01644 (प्रत्येक 5700/- रु०) दिनांक 30.8.79 को पी० एल० ए० से निकासी की गई थी। मु० 10400 रु० का ड्राफ्ट दर 26/- रु० प्रति बैग से 400 बैगों का बनवाया गया और इस पर 10/- रु० बैंक कमीशन दिया गया। यह ड्राफ्ट हिम फैडरेशन, के नाम बनवाया गया था और सीमेंट धर्मपुर से सप्लाई किया जाना था। सीमेंट स्टाक रजिस्टर के अनुसार केवल 370 सीमेंट बैग नगर पंचायत द्वारा प्राप्त किये

इस प्रकार 30 सीमेंट बैग कम प्राप्त हुए थे जिसका मूल्य 26 रु प्रति बैग से 780 रु था। जी-8 रसीद संख्या 7870 दिनांक 7.2.95 द्वारा मुआविजा 780/- रु की प्राप्ति मैनेजिंग डायरेक्टर हिम फैड शिमला से चैक नं० 238034 द्वारा दर्शाई गई और चैक को दोहरा से भुनाने का मु० 30/- रु वसूली शुल्क अदा करना पड़ा परन्तु चैक जिस पत्र द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर हिम फैड शिमला से प्राप्त हुआ उसको अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया। इस प्रकार कु० 30/- रु सीमेंट का मूल्य कम प्राप्त हुआ और मुआविजा 780/- रु में से 681.60 रु सीमेंट को ठेकेदार से अभी जोन कारवाई दर्शाया गया इस प्रकार मु० 8.10 रु की राशि यह वसूली की योग्य है।

पैरा नं० 12 की अनियमित
पैरा नं० 13 अनियमित
पैरा नं० 14 अनियमित
पैरा नं० 15 अनियमित
पैरा नं० 16 अनियमित
पैरा नं० 17 अनियमित
पैरा नं० 21 अनियमित
पैरा नं० 23 अनियमित
पैरा नं० 25 की अनियमित

(ड) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/81 से 3/82</u>

पैरा नं० 8 ए और 8 बी अनियमित

(च) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/82 से 3/83</u>

पैरा नं० 9 (बी) (सी) और (डी) अनियमित

(छ) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/83 से 3/85</u>

पैरा नं० 11 की अनियमित

(ज) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/85 से 3/87</u>

पैरा नं० 5 की अनियमित
पैरा नं० 9 (बी) (ii) अनियमित

गाड़ी प्राप्त की गई का व्यय किया गया।

पैरा नं० 8 अनिर्णीत : गंदी बस्ती सुधार योजना

क्रम संख्या 2 पर मु० 26551: रू० क्रम संख्या 5 पर 11.51 रू०

क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/82 से 3/89

पैरा नं० 5 (i) अनिर्णीत
पैरा नं० 6 अनिर्णीत
पैरा नं० 7 अनिर्णीत
पैरा नं० 8 अनिर्णीत
पैरा नं० 9 अनिर्णीत
पैरा नं० 12 अनिर्णीत
पैरा नं० 13 अनिर्णीत
पैरा नं० 14 पु अनिर्णीत
पैरा नं० 16 अनिर्णीत
पैरा नं० 17 अनिर्णीत

ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/89 से 3/95

पैरा नं० 2 निर्णीत
पैरा नं० 3 निर्णीत
पैरा नं० 4 निर्णीत अंकेक्षण शुल्क मु० 2670/- रू० चालान संख्या 16 दिनांक 8.1.96 द्वारा सरकारी खजाने में जमा करवाया

पैरा नं० 5 (i) निर्णीत

पैरा नं० 5 (ii) आंशिक निर्णीत : मु० 7.94.0 रू० जो निर्माण सड़क कुलाड़ी के बकाया थे को चालान संख्या 16 दिनांक 17.8.94 को सरकारी खजाने में जमा करवा दिया था। और क्रम संख्या 1 पर मु० 663.77 रू० तथा संख्या 2 पर 854.80 रू० और क्रम संख्या 3 पर 386.10 रू० राशि : जो शेष राशि थी को सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाई गई, जिसे जमा करवाया जावे।

पैरा नं० 5 (iii) ग : अनिर्णीत : कोई कार्यवाही नहीं की गई।

पैरा नं० 6 नेहरू रोजगार योजना अनिर्णीत : अभी कोई कार्यवाही नहीं की गई

पैरा नं० 7 : निर्णीत : पूंजी समाप्त होने के रूप में अनुदान शर्तें प्राप्त की गई का उद्देश्य किया गया।

पैरा नं० 8 अनियमित : गंदी बस्ती सुधार योजना
क्रम संख्या 2 पर मु० 26551: रू० क्रम संख्या 5 पर 1451.40 क्रम संख्या 6 पर 4904 रू० और क्रम संख्या 8 पर मु० 6544.00 रू० अनुप्रयोग रहे जो अभी तक सरकारी खजाने में वापिस जमा नहीं कराये गये। अतः शीघ्र कार्यवाही की जावे।

पैरा नं० 9 क और ख : निर्धारित प्रेस्टों : इस प्रकार के बकाया को अब अंकेक्षण अवधि 4/94 से 3/97 में दर्शाया गया है

पैरा नं० 10 : निर्धारित : दुकानों का किराया बकायाजात : दुकानों का जो किराया बकायाजात 31.3.94 को था उस बकाया को आगे उठाया गया और दिनांक 31.3.97 के बकायाजात में अंकेक्षण अवधि 4/94 से 3/97 में दर्शाया गया है।

पैरा नं० 11 i और ii : अनियमित :

पैरा नं० 11 (iii) : अनियमित

पैरा नं० 11 (i) क : अनियमित : मु० 5500/: रू० की अग्रिम राशि श्री राज कुमार कनिष्ठ अभियंता को विभिन्न सामान क्रय करने हेतु दी गई थी परन्तु सामान का क्रय बिना सप्लाई आदेश और बिना निविदायें आमंत्रित किया गया परन्तु इस प्रकार जो सरकारी आदेशों की अवहेलना की गई। अभी तक इस प्रकार क्रय किये गये सामान हेतु व्यय को सक्षम अधिकारी द्वारा नियमित नहीं करवाया गया।

पैरा नं० 11 (i) ख : अनियमित

पैरा नं० 11 (ii) क : अनियमित : मु० 13000 रू० जो अग्रिम राशि श्री राज कुमार कनिष्ठ अभियंता को विभिन्न सामान क्रय करने हेतु दी गई थी उससे जो सामान क्रय किया गया वे सामान न तो सरकार द्वारा अनुमोदित दर ठेकेदार फर्मों से किया और न ही नियमानुसार निविदाएं आमंत्रित कर के किया गया अतः इस व्यय को अभी तक सक्षम अधिकारी द्वारा नियमित नहीं करवाया गया। अतः शीघ्र कार्यवाही की जावे।

पैरा नं० 11 (iii) के : अनिर्णीत :- बताते क्रय करना क्लोसिकल टरवाजा :- मुबलिग 15,000 रू० की अंतिम राशि जो राज-कुमार को० भुगतान की बाबत क्रय करने क्लोसिबल दरवाजा हेतु किया गया परन्तु क्रय न तो दर संविदा फर्मों से किया गया और न ही नियमानुसार निविदाए आमंत्रित की गई और व्यय को सक्षम अधिकारी द्वारा अभी नियमित नहीं करवाया गया।

पैरा नं० 11 (iv) : अनिर्णीत : बिजली की फीटिंग बारे अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

पैरा नं० 11 (iv) क : अनिर्णीत : बिजली फीटिंग की पैमाइश माप पुस्तक पर अभी भी बिजली की फीटिंग दर्ज नहीं की गई।

पैरा नं० 11 (iv) ख : अनिर्णीत : बिजली की फीटिंग बिना निविदाए आमंत्रित किये की गई थी जिस को अभी तक सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित नहीं करवाया गया।

पैरा नं० 11 (iv) ग : अनिर्णीत : बिजली के कार्य निष्पादित करने हेतु जो बिजली का सामान क्रय किया गया उसका विवरण अभी भी उपलब्ध नहीं करवाया गया।

पैरा नं० 11 (iv) घ :- अनिर्णीत : कोई कार्यवाही नहीं की गई।

पैरा नं० 11 (iv) (ङ) : अनिर्णीत : बिजली के प्वाईंट दर 130/- रू० प्रति प्वाईंट से जो पहले 90/- रू० प्रति प्वाईंट दिया गया था को न्यायोचित नहीं ठहराया गया।

पैरा नं० 11 (v) क से क तक : अनिर्णीत : मु० 12400/- रू० बिजली की फिटिंग पर व्यय :- 16 नम्बर स्टाल में बिजली की फीटिंग करवाई गई थी परन्तु उस का इन्द्राज माप पुस्तक में दर्ज नहीं किया गया और न ही बिल का भुगतान माप पुस्तक द्वारा किया गया परन्तु इसबारे कोई कार्यवाही नहीं की गई।

पैरा नं० 11 (vi) क से ख : डेलिंग गेट पर मु० 35485 रू० का व्यय अनिर्णीत : मु० 35485 रू० का व्यय में डेलिंग गेट लगाने हेतु किया गया था परन्तु अभी भी माप पुस्तक में इसकी ~~विवरण~~ ~~पैमाइश~~ दर्ज नहीं की और न ही व्यय को सक्षम अधिकारी से नियमित करवाया गया।

पैरा न० 11 (vii) क से ङ : आपत्ति : 16 दुकानों में शटर लगाने

कुल राशि 33800/- रु० का व्यय बाबत 16 दुकानों में शटर लगाने हेतु किया गया परन्तु इस का अभी भी माप पुस्तक में इसका इंद्राज नहीं किया और न ही निविदाएं नियमानुसार न आमंत्रित करने को सक्षम अधिकारी द्वारा नियमित [illegible] करवायें।

पैरा न० 11 (viii) आपत्ति : बाबत सप्लाई ईंटें : ऊंची दरों पर ईंटें क्रय करने को और बिना निविदाएं लेने को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ले कर नियमित नहीं करवाया।

पैरा न० 11 (ix) आपत्ति : पुस्तकालय हेतु रैक और सैल्फ : पुस्तकालय हेतु मास 3/93 में 3360/- रु० मास 4/92 में 5240/- रु० का भुगतान श्री सुरेश कुमार इलैक्ट्रीशियन को किया परन्तु इस प्रकार जो दोहरा भुगतान किया उस से सम्बन्धित रिकार्ड नहीं दर्शाया गया।

पैरा न० 11 (x) क आपत्ति : कर्मचारी द्वारा कार्य करवाने पर हौदी (रिटेनिंग वाल) हेतु जो 10 बैग सीमेंट के कम प्रयोग किये इसको न्यायोचित नहीं ठहराया गया।

पैरा न० 11 (x) ख : आपत्ति : बजरी जो कुल 198.75 रु० की अधिक प्रयोग की गई थी अभी वसूली नहीं की गई जिसे शीघ्र किया जाये।

पैरा न० 11 (xi) : आपत्ति : चौगान में स्टाल के निर्माण हेतु कुल 616.45 रु० की निर्माण सामग्री अधिक प्रयोग की गई और गये कुल 616.45 रु० की अभी वसूली नहीं की गई जिसे शीघ्र किया जाये।

पैरा न० 11 (xii) क से ग : आपत्ति : कर्मचारी द्वारा चौगान से बस स्टैंड तक रास्ते का निर्माण करवाया गया इस में निर्माण सामग्री रेत 116 क्यूफुट कुल 6996 रु० और बजरी 3.48 क्यूफुट कुल 758/- रु० का अधिक प्रयोग किया गया परन्तु इस की अधिक वसूली नहीं की गई। जिस की शीघ्र वसूली की जाये।

पैरा न० 11 (xiii) क से ग आपत्ति : नालों की मुरम्मत हेतु कुल 3830/- रु० के जो ईंट, रेत व स्टील का अधिक प्रयोग किया गया उसकी भरपाई अभी नहीं की गई है।

पैरा न० 11 (xxi) [illegible]

ऊपर कार्य आवंटित करने को न्यायोचित नहीं ठहराया गया।

पैरा न० 11 (xiv) : अनियमित : मु० 2618.00 रु० का भुगतान श्री जय सिंह ठेकेदार को अम्बेडकर मार्किट के पिछे स्टोन पिचिंग हेतु किया गया था परन्तु उसकी वैरीफिकेशन व औचित्य को अभी भी न्यायोचित नहीं ठहराया गया।

पैरा न० 11 (xv) क ले ग अनियमित : श्री राम सिंह ठेकेदार को अम्बेडकर मार्किट के नीचे ढोकों का कार्य 66% ऊपर मानक दर अनुसूची 1987 में आवंटित किया गया था परन्तु 66% ऊपर देने को न्यायोचित नहीं ठहराया गया।

पैरा न० 11 (xvi) (छ) : अनीयमित ! - मु० 8893.00 रु० में से मु० 3793.00 रु० की जो विभिन्न फिक्सचर की गई उसको ठीक नहीं किया।

पैरा न० 11 (xvi) क ले ग . अनियमित : श्री राम सिंह ठेकेदार को तीन दुकानों के निर्माण हेतु कार्य 25% प्रीमियम पर आवंटित किया गया था जिसको न्यायोचित नहीं ठहराया गया और बिल को भी म्युनिसिपल इंजीनियर द्वारा सत्यापित नहीं करवाया गया।

पैरा न० 11 (xvii) अनियमित : मु० 6653 रु० का भुगतान बाबत निर्माण शौचालय का किया गया जिसके निर्माण में 5 बैग सीमेंट की कम खपत दर्शाई गई थी जिसको न्यायोचित नहीं ठहराया गया।

पैरा न० 11 (xviii) : अनियमित

पैरा न० 11 (xix) अनियमित : मु० 5356.00 रु० का भुगतान मस्टरोल द्वारा बाबत निर्माण कंक्रीट सिमेंट टेम्पल ग्राउंड मंदिर हेतु किया गया इसमें 65 बैग सीमेंट के बजाय 56 सीमेंट बैग प्रयोग किये गये जिसे न्यायोचित नहीं ठहराया गया।

पैरा न० 11 (xx) अनियमित : - 8 दुकानें श्री सुरजन सिंह ठेकेदार को बाबत निर्माण शौचालय व सैप्टिक टैंक हेतु 80% ऊपर मानक दर अनुसूची किया गया जिसे न्यायोचित नहीं ठहराया गया।

पैरा न० 11 (xxi) क अनियमित : 16 दुकानों के निर्माण अम्बेडकर मार्किट का प्राक्कलन लेखों की अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया

पैरा न० 11 (xxii) क ले ग अनियमित : श्री राम सिंह ठेकेदार को 75% ऊपर कार्य आवंटित करने को न्यायोचित नहीं ठहराया गया

पैरा नं० 12 (iii) : अनियमित : सैनेटरी सामान का क्रय करना :- रू० 455 रू० का भुगतान मैं० कमला ट्रेडर्स कम्पनी को बाबत सप्लाई करने सैनेटरी का सामान का किया गया परन्तु जो सामान खरीदा गया उसका इन्द्राज डैड स्टाक रजिस्टर में नहीं दर्शाया गया।

पैरा नं० 12 (iv) : अनियमित : सैनेटरी सामान का क्रय करना रू० 3666.00 रू० का भुगतान मैं० कमला ट्रेडर्स कम्पनी को बाबत सप्लाई सैनेटरी के सामान का किया गया परन्तु यह खरीद दर प्रतिद्वंद्वी फर्मों से नहीं की गई और न ही इसे सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया गया।

पैरा नं० 12 (v) : अनियमित : रू० 3430/- रू० का भुगतान मैं० [illegible] फेब्रिकेशन को बाबत वरवाने इत्यादि का किया गया परन्तु खरीद हेतु निविदाएं आमंत्रित किये बिना की गई जिसे सक्षम अधिकारी से नियमित नहीं करवाया गया।

पैरा नं० 12 (vi) : अनियमित : नगरपालिका ने जो सामान क्रय किया गया उसका इन्द्राज सम्बन्धित भण्डार रजिस्टर में नहीं दर्शाया गया और न ही सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर करवा कर दिखाया गया।

पैरा नं० 13 अनियमित : नगद भुगतान बारे :- नगरपालिका के सचिव द्वारा किसी का उल्लेख कर के नगद भुगतान किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया।

पैरा नं० 14 अनियमित : स्ट्रीट लाईट बारे : स्ट्रीट लाईट का मीटर नं० ए-1151 बंद रहा और उनका बिजली का बिल औसत के दर से किया गया जिसका मामला विद्युत विभाग से नहीं उठाया गया।

पैरा नं० 15 (i) अनियमित : अधिक भुगतान : रू० 600/- रू० का भुगतान मैं० प्रेम लाल वर्मा ठेकेदार को बाबत कॉलोनी फर्श निकालने का 0.85/- रू० प्रति वर्ग फुट की दर से 300 रू० देने थे परन्तु भुगतान 600/- रू० किया गया परन्तु अधिक भुगतान 300/- रू० की वसूली नहीं की गई।

पैरा नं० 16 (iii) (क) अनियमित संशोधित वेतनमान : श्री पारदीप चंद का वेतन मान वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण घटा कर 1200/- रू० निर्धारित किया गया।

पुल्य दवा प्रकार कर्मचारी का वेतन ... औचित्य एवं औचित्य न करने का औचित्य स्पष्ट नहीं किया। निर्धारण संशोधित करें।

पैरा नं० 15 (ii) निर्णीत : रु० 989.00 का अधिक आहरण

मु० 989.00 रु० जिसका अधिक आहरण किया गया था श्री जगदीश चंद लेखक बि० लिपिक से उसकी वसूली रसीद संख्या 41446 दिनांक 5-11.98 द्वारा प्राप्त कर लिया गया है।

पैरा नं० 15 (iii) निर्णीत : मु० 50/- रु० का अग्रिम भुगतान जो कर्मचारियों की वर्दी खरीदने हेतु किया गया था उसमें से मु० 15.00 रु० की वसूली श्री जगदीश चंद लेखक से श्री रसीद संख्या 34808 दिनांक 19.3.98 द्वारा कर ली गई है।

पैरा नं० 15 (iv) अनिर्णीत : श्री सुभाष चंद बढ़ई को अधिक दिहाड़ी देने के कारण मु० 75.00 रु० का अधिक भुगतान किया गया था उसकी वसूली अभी नहीं की गई।

पैरा नं० 15 (v) अनिर्णीत : मु० 304.00 रु० का जो अधिक भुगतान मिस्त्रियों को किया गया था उसकी अभी वसूली नहीं की गई।

पैरा नं० 15 (vi) अनिर्णीत : मु० 17.00 रु० का जो अधिक भुगतान मजदूरों को माह 6/91 में किया गया था उसकी वसूली अभी नहीं की गई।

पैरा नं० 16 (i) अनिर्णीत : पेंशन केस बारे हि०प्र० म्युनिसिपल एकाउंट्स कोड 1975 के नियम 314 के अनुसार नगर पालिका में कार्यरत कर्मचारियों का अग्रिम बीमा निधि की कटौती अभी भी 31-3-97 तक नहीं की गई।

पैरा नं० 16 (ii) क से ग अनिर्णीत : सैनेटरी सुपरवाईजर श्री भारती कांत का पुलिस चरित्र सत्यापन नहीं करवाया गया।

पैरा नं० 16 (iii) (क) अनिर्णीत संशोधित वेतनमान : श्री जगदीश चंद का वेतनमान निर्धारण ठीक न होने के कारण घटा कर 1200/- रु० का निर्धारण किया गया।

पैरा नं० 16 (iii) (ख)(3) : अनिर्णीत : उचित रूप और औचित्य : दैनिक कर्मचारियों का वेतन निर्धारित संशोधित दरों पर न करने का औचित्य स्पष्ट नहीं किया।

पैरा नं० 17 (i) . अनिर्णीत : अग्रिम राशि, समायोजन करने वाले बिजली सामग्री का क्रय करने के लिए अग्रिम राशि का आहरण किया गया परन्तु मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर नियम 256 के अनुसार फार्म नं०-13 पर नहीं बनाया गया। रु० 1,50,524/- अग्रिम राशि दी गई थी।

पैरा नं० 17 (ii) क. अनिर्णीत : रु० 11600/- रु० की अग्रिम राशि दिनांक 2.7.92 को 100 बैग सीमेंट खरीदने हेतु दिया गया। सीमेंट 7.7.92 को क्रय कर लिया गया और सूचित किया कि सीमेंट 2.7.92 से 6.7.92 तक बाजार में उपलब्ध नहीं था।

पैरा नं० 17 (ii) ख . अनिर्णीत : दिनांक 30.6.92 द्वारा जो दरें मै० कमला हैंडलूम फर्म द्वारा सूचित की थी वह 114/- रु० प्रति सीमेंट बैग था परन्तु दिनांक 7.7.92 को जब सीमेंट खरीदा गया तो उसका प्रति बैग मूल्य 114.65 रु० वसूल किया। इस प्रकार रु० 65/- अधिक भुगतान किया जिसे न्यायोचित नहीं ठहराया।

पैरा नं० 17 (ii) ग ' अनिर्णीत : असमायोजित हुए अग्रिमों के वाउचरों को अभी भी सत्यापित नहीं करवाया गया।

पैरा नं० 18 : ' अनिर्णीत : न्यायिक व्यय : न्यायिक व्यय के रजिस्टर को अभी भी पूरा नहीं किया गया।

पैरा नं० 18 (क) और (ख) अनिर्णीत : फीस जो अधिवक्ता को दी जाती है थी उसकी प्रतिलिपि अभिलेखों में उपलब्ध नहीं करवाई गई और अभी 50% कार्य से ऊपर की राशि नगद दे दी गई है।

पैरा नं० 19 : अनिर्णीत : गलत वर्गीकरण : नगर पंचायत द्वारा जो व्यय विभिन्न कार्यों के लिए किये और गलत वर्गीकरण किया उस व्यय को उपयुक्त शीर्ष में अभी भी ठीक नहीं किया गया।

पैरा न० 20(i) विभिन्न आपत्तियां : अनियमित :

मु० 437.40 रू० का भुगतान ब्लूज सर्विस स्टेशन धिमल को 30 लीटर पैट्रोल क्रय करने हेतु किया जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की गाड़ी में सोलन से चैक लाने हेतु प्रयोग की गई परन्तु चैक लाने हेतु गाड़ी के प्रयोग का औचित्य स्पष्ट नहीं किया।

पैरा न० 20(ii) रोकड़ बही: अनियमित: वेतन की अदायगी हेतु दि० 8.10.93 को मु० 10,000 रू० की निकासी की गई परन्तु इस राशि को दिनांक 8.12.93 को पश्चात् अनुसूचित जाति निगम सोलन में जमा करवाया गया। परन्तु दो मास बाद राशि जमा करवाने का औचित्य स्पष्ट नहीं किया।

पैरा न० 20 (iii): अनियमित: मु० 205.00 रू० के वाउचर जांच की अवधि में उपलब्ध नहीं करवाये गये।

पैरा न० 20 (iv) अनियमित: समाचार पत्रों का मास 4/93, 9/93, 12/93 और 2/94 का रजिस्टर जांच को उपलब्ध नहीं करवाया।

पैरा न० 20 (v) अनियमित: पुराने सामान की नीलामी: पुराने सामान का रजिस्टर जांच को उपलब्ध नहीं किया।

पैरा न० 20 (vi) स्व. अनियमित: भौतिक सत्यापन जांच नहीं करवाया गया

पैरा न० 20 (vii): अनियमित: कोलैक्सन चार्जिज सम्बन्धी विवरण जांच को उपलब्ध नहीं करवाया।

पैरा न० 20 viii. अनियमित: नगर पंचायत की सम्पत्ति का ~~वार्षिक~~ त्रैवार्षिक सत्यापन नहीं करवाया गया।

पैरा न० 20 (viii) अनियमित: ओम्नेबसों का रख रखाव: ओम्नेबसों का रख रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है

पैरा न० 20 (ix): अनियमित: व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई।

पैरा न० 20 (x)(क) अनियमित: स्ट्रीट लाईट के रख रखाव हेतु सामान की खरीद: सामान की खरीद जांच की कोटेशनें प्राप्त किये बिना दर संविदा फर्मों से नहीं की जा रही है।

भाग- द्वितीय

2. वर्तमान अंकेक्षण : नगर पंचायत अर्की के अवधि 4/94 से 3/97 के लेखों का अंकेक्षण एवम् निरीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में समाविष्ट किये गये हैं, श्री डी० आर० कपिल सहायक नियंत्रक (लेखा) द्वारा दिनांक 16-10-2000 से 20-11-2000 तक नगर पंचायत कार्यालय अर्की में सम्पन्न किया और लेखा परीक्षा में विस्तृत जांच हेतु मास 8/94, 3/95, 7/95, 3/96, 5/96 और 3/97 का चयन किया गया और जो भी अभिलेख अंकेक्षण के समक्ष आवश्यक हुआ उसको दिखाया गया और जो प्रस्तुत नहीं हुआ उसे पैराग्राफ में वर्णित किया गया।

3. वित्तीय स्थिति ! (क) नगर पंचायत अर्की के अवधि 4/94 से 3/97 तक के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न दर्शाई गई :-

	वर्ष 1994-95 रु०	वर्ष 1995-96 रु०
गत शेष	4,30,471-22	6,55,848·22
कुल आय	11,62,716·00	12,23,725·25
योग	15,93,187-22	18,79,573·47
व्यय	9,37,339·00	16,69,537·00
अन्तिम शेष	6,55,848·22	2,10,036·47

	1996-97 रु०
गत शेष	2,10,036-47
आय	17,48,722·00
योग	19,58,758·47
व्यय	15,28,017·00
अन्तिम शेष	4,30,741·47

दिनांक 31-3-1997 को बैंकों में राशि का ब्यौरा निम्न दर्शाया गया है।

	रु०
1) पी० एल० ए० अर्की	14,115·62
2) यूको० बैंक अर्की खाता नं० 2347	1,49,830·00
3) यूको बैंक अर्की खाता नं० 6979	202·00
4) स्टेट बैंक आफ पटियाला अर्की खाता नं० 169	3,82,525·00
5) डाकघर अर्की 239332 खाता नं०	1,353·85
योग	5,48,026·47

इसमें मु० 2000 रु० की निकासी

(18)

कुल कैशबुक शेष		5,48,026.47	
कमी चैक जारी किये पर भुनाये नहीं	(-)	1,21,236.00	विवरण निम्न है (i)
शेष		4,26,790.47	
जमा: मु०को बैंक अर्की खाता क्र० 2347 में क्रेडिट नहीं दर्शाया	(+)	1500.00	टिप्पणी निम्न है (ii)
जमा: स्टेट बैंक आफ पटियाला खाता क्र० 169 बिना वाउचर निकासी	(+)	2000.00	टिप्पणी निम्न है (iii)
जमा: स्टेट बैंक आफ पटियाला खाता क्र० 169 से अधिक निकासी	(+)	100.00	टिप्पणी निम्न है (iv)
इत्तफाक राशि (कुछ आय जमा नहीं की)	(+)	351.00	
कुल कैशबुक शेष		4,30,741.47	

(i) चैक जारी किये पर भुनाये नहीं :-

मु०को बैंक खाता क्र० 2347 से चैक क्र०	316018 / 31.3.97	रु०	35142.00
स्टेट बैंक पटियाला खाता क्र० 169 से चैक क्र०	319131 / 28.3.97	रु०	10538.00
——— यथोपरि ———	319151 / 31.3.97	रु०	25000.00
——— यथोपरि ———	319152 / 31.3.97	रु०	11,645.00
——— यथोपरि ———	319153 / 31.3.97	रु०	32,056.00
——— यथोपरि ———	319154 / 31.3.97	रु०	6865.00
		योग	1,21,236.00

(ii) दिनांक 26.9.96 को मु० 400/- रु० और दिनांक 25.9.96 को मु० 1100/- रु० मु०को० बैंक अर्की खाता क्र० 2347 में जमा दर्शाए गये परन्तु इस राशि मु० 1500/- रु० का क्रेडिट बैंक खाता क्र० 2347 में नहीं दर्शाया गया। सचिव नगर पंचायत ने सूचित किया कि इस बारे बैंक मैनेजर अर्की को पत्र संख्या क्र० पी०ए०। बैंक स्टेटमेंट। -2के-770 दिनांक 6-11-2000 द्वारा राशि मु० 1500/- रु० का क्रेडिट देने का अनुरोध किया था परन्तु अभी कोई उत्तर नहीं आया और छानबीन जारी है। अतः सचिव नगर पंचायत इस बारे पूर्ण छानबीन करके इस निदेशालय को तदनुसार सूचित करें।

(iii) दिनांक 18.3.97 को स्टेट बैंक आफ पटियाला, बातल, खाता नं० 169 से चैक नं० 319127 द्वारा मु० 2000 रु० की निकासी की गई थी। परन्तु चैक जारी करने की अभिलेख पर्ची चैक बुक नं० 319120 से 319130 तक जाँचे प्रतिभेश नहीं रखा था जिस कारण से यह जाँच नहीं की जा सकी कि यह निकासी सैल्फ चैक द्वारा की गई या किसी को भुगतान हेतु की गई इस राशि का वाउचर भी उपलब्ध नहीं था। इसलिए नगर पंचायत कैश की पुष्टि तत्कालीन को और दोषी अधिकारी। कर्मचारी से वसूली की जावे और यह भी सुनिश्चित करें कि भविष्य में चैक जारी करने की अभिलेख पर्ची को चैक जारी करते समय आवश्य भरा जावे।

(iv) दिनांक 31.3.97 को स्टेट बैंक आफ पटियाला बातल खाता नं० 169 से चैक नं० 319155 द्वारा मु० 11645 रु० की निकासी की गई जब कि देय राशि 11545.00 रु० थी इस प्रकार मु० 100/- रु० की अधिक निकासी की गई जिसे नगर पंचायत निधि में जमा करवाया जावे।

(ख) देनदारी देय :- नगर पंचायत अर्की की दिनांक 31.3.97 को निम्न देनदारी देय थे।-

(i) हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जन जाति निगम सोलन की दिनांक 31.3.97 को बकाया देनदारी :-

1.4.94 को बकाया देनदारी	देनदारी वापिस की राशि	बकाया देनदारी
4,58,000.रु	74,000.रु	3,84,000 रु

(ii) निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश से ऋण देनदारी :- दिनांक 31.3.97 को मु० 1,75,000/- रु देनदारी बकाया था।

(ग) निवेश :- नगर पंचायत अर्की द्वारा दिनांक 31.3.97 को कोई निवेश नहीं किया गया था।

राशि मु० 456.00 रु. उपकर्मी, निदेशक के अनुसार तत्काल पंचायत में ~~भी~~ जमा करवाई जाए जिससे उक्त कर्मी/आय कमला अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा ~~कारवाई और इस निर्देशालय को सूचित करें।~~ लेखा परीक्षा में अवगत करवाएं।

~~सेव~~ संख्या 4 और 5 वर्ष 1995-96 में कार्य पूरा हो चुका है परन्तु अभी तक समापन/उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जो कि शीघ्र जारी किये जावें।

(ग) नगर पंचायत अर्की द्वारा अवधि 1-4-94 से 31-3-97 में जिलाधीश सोलन से जो अनुदान राशि प्राप्त की गई उसका विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन परिशिष्ट "घ" में दर्शाया गया है

क्रम संख्या 4,5,6,7 और 13 वर्ष 1994-95 और क्रम संख्या 1,16,19 और 20 पर वर्ष 1995-96 और क्रम संख्या 1 और 2 वर्ष 1996-97 से कार्य पूर्ण हो चुका था परन्तु अभी तक समापन/उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी जारी नहीं किये गये थे जो कि शीघ्र जारी किये जायें।

(घ) नगर पंचायत अर्की द्वारा अवधि 1-4-94 से 31-3-97 में निदेशक नगर एवं ग्रामीण योजना, शिमला से जो अनुदान राशि प्राप्त की गई उसका विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन परिशिष्ट "ङ" में दर्शाया गया है।

क्रम संख्या 1 पर दर्शाया गया कार्य वर्ष 1996-97 में पूर्ण हो चुका था परन्तु बिना खर्च राशि मु० 161-00 रु० निर्देशों के अनुसार सरकारी खजाने में शीघ्र जमा करवाई जाये और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

क्रम संख्या 2, और 3 पर दर्शाया गया कार्य वर्ष 1994-95 में पूर्ण हो चुका था परन्तु समापन/उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जो कि शीघ्र जारी किये जायें।

(ङ) नगर पंचायत अर्की को अवधि 1-4-94 से 31-3-97 में नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत अनुदान और उपादान प्राप्त हुए थे इसका विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "च" में दर्शाया गया है कार्यों के उपादान और अनुदान की राशियां जिनका उपयोग किया जा चुका है उनके समापन/उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी नहीं किये गए जिन्हे शीघ्र जारी करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत किया जाए। वर्ष 1996-97 में बिना उपयोग अनुदान और उपादान की राशियों का उपयोग अनुदान स्वीकृति पत्रों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर किया जाये अन्यथा सरकार से समय की बढ़ोतरी हेतु स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही इन राशियों को खर्च करना सुनिश्चित किया जाए।

(छ)

(घ) नगर पंचायत अर्की के अवधि 4/94 से 3/97 तक जो अनुदान राशि चुंगी समाप्ती के एवज़ में सरकार से प्राप्त हुई थी उसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "छ" में दर्शाया गया है।

(ङ) नगर पंचायत अर्की को अवधि 4/94 से 3/97 में जो अनुदान राशि "विकास में जन सहयोग के अंतर्गत जिलाधीश सोलन से प्राप्त हुई उसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ज" में दर्शाया गया है। क्रम संख्या 3 और 4 पर कार्य पूर्ण हो चुके हैं परन्तु समापन। उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जो शीघ्र जारी किये जायें।

(च) नगर पंचायत अर्की को 4/94 से 3/97 में जो नोराड (NORAD) के अंतर्गत अनुदान प्राप्त हुआ उसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "झ" में दर्शाया गया है।

(छ) नगर पंचायत अर्की को खंड विकास अधिकारी कुनिहार से जो अनुदान प्राप्त हुआ उसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ञ" में दर्शाया गया है।
क्रम संख्या 1 पर कार्य पूर्ण हो चुका है परन्तु उसका समापन। उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया।
क्रम संख्या 2 पर कार्य प्रगति में दर्शाया गया अतः इसको शीघ्र पूरा किया जाये।

(ज) शुष्क शौचालयों को पानी के बहाव में परिवर्तित करना।

नगर पंचायत अर्की को शुष्क शौचालयों को पानी के बहाव में परिवर्तित करने के लिये सरकार के पत्र संख्या मु० स्वा० वी० एच (बी) एफ-(1) 1/89-III दिनांक 10-11-94 द्वारा मु० 30100/- रु० और दिनांक 17-10-95 को मु० 7200/- रु० उपदान के रूप में प्राप्त हुए थे। नगर पंचायत अर्की ने दिनांक 31.3.97 तक मु० 27,600/- रु० व्यय किये जबकि उपदान राशि 27,300/- रु० प्राप्त हुई थी। इस प्रकार मु० 300/- रु० नगर पंचायत अर्की द्वारा नगर पंचायत फंड से व्यय किये जिनको न्यायोचित ठहराया जाये। सरकार से प्राप्त उपदान राशि और व्यय का विवरण परिशिष्ट 'ट' अंकेक्षण अवधि 4/94 से 3/97 के साथ संलग्न है।

6. धन दुर्विनियोग :- नगर पंचायत निधि

अधिक निकासी/भुगतान : नगर पंचायत रुद्रौली के लेखों का अंकेक्षण करते समय पाया गया कि बैंकों/खजाने से अधिक निकासी/भुगतान किया गया जिसके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से हैं जिसकी वसूली करके सम्बन्धित/दोषी अधिकारी/कर्मचारी से करके नगर पंचायत निधि में जमा करवाई जाए और इसकी सूचना इस निदेशालय को भी भेजी जाए। और दोषी कर्मचारी के विरुद्ध वांछित विभागीय कार्यवाही किए जाने पर भी नियमानुसार विचार किया जाए जिससे भविष्य में इस प्रकार के दुर्विनियोजन को रोका जा सके।

क्र.सं.	वाउचर नम्बर/माह	निकासी की	निकासी की जानी थी	अधिक निकासी	विवरण
1.	261 माह 3/95	4090=00	3690=00	400=00	वेतन बिल माह 2/95
2.	83, माह 7/95	7,974=00	7,574=00	400=00	मस्टरोल नम्बर 249/95
3.	300, माह 2/96	19,919=00	19,619=00	300=00	वेतन बिल, यात्रा भत्ता बिल व अन्य बिल
4.	42 से 48, माह 6/96	1,890=00	1,790=00	100=00	विभिन्न बिलों का भुगतान
5.	195 से 205, माह 12/94	19,254=00	19,154=00	100=00	—यथोपरि—
6.	88, माह 8/96	5,106=00	5,006=00	100=00	वेतन सफाई कर्मचारी माह 7/96
7.	153, माह 9/95	3,492=00	3,432=00	60=00	मस्टरोल संख्या 299/95
8.	352 से 355, माह 3/97	11,645=00	11,545=00	100=00	विभिन्न बिलों का भुगतान
9.	3 से 8, माह 4/96	5,879=00	5,874=00	5=00	—यथोपरि—
10	1, माह 4/96	3,409=00	3,404=00	5=00	मस्टरोल संख्या 288/96

कुल 1570=00

7. अधिक भुगतान - नगर पंचायत निधि - दुर्विनियोग

क) वाउचर नं० 394 दिनांक 9.1.96 राशि 16641.00

मुबलिग 16641.00 रू० का भुगतान श्री सुदर्शन सिंह संविदाकार को चैक क्र० 339718 दिनांक 9.1.96 स्टेट बैंक ऑफ पटियाला नालल मेरा बाबत वापिस धरोहर राशियों और प्रतिभूति राशियों का किया गया। इस भुगतान में निम्न अनियमिततायें पाई गई -

i) श्री सुदर्शन सिंह संविदाकार को मुबलिग 14683 रू० देय थे परन्तु गलत योग लगाने के कारण मुबलिग 16641.00 रू० का भुगतान किया गया। इस प्रकार संविदाकार को मु० 1958/- रू० का अधिक भुगतान किया गया। अतः श्री सुदर्शन सिंह संविदाकार से मुबलिग 1958.00 रू० की वसूली तुरन्त की जाये अन्यथा इस की वसूली सम्बन्धित दोषी कर्मचारी/अधिकारी से कर के नगर पंचायत निधि में जमा करवाया जाये और इस की सूचना इस निदेशालय को दी जाये।

विवरण जो राशि देय थी (प्रतिभूति राशियां सिक्योरिटी)

i) निर्माण दो कमरे राजकीय डिग्री कालेज अर्की : प्रतिभूति राशि	रू. 8323.00
ii) निर्माण दो नं० संत्रालय और दो नम्बर लैट्रीन तहसील कार्यालय : प्रतिभूति राशि	1607.00
iii) निर्माण ड्रेन नाली अर्की मांझू रोड प्रतिभूति राशि	1958.00
iv) निर्माण ड्रेन (रिटेनिंग वाल) नजदीक हस्पताल अर्की - प्रतिभूति राशि	1795.00

धरोहर राशियां

i) निर्माण मूत्रालय और लैट्रीन तहसील कार्यालय जी 8 रसीद सं० 0/6245	700.00
ii) निर्माण ड्रेन नाली अर्की मांझू रोड जी 8 रसीद सं० 34/861 दि० 29.1.95	600.00
योग	14683.00 रू०

ठेकेदारों को भुगतान किया

भुगतान 16641.00 रू० का भुगतान जो गलत गणना के कारण किया गया था जिसे कारण है कि मु० 1958.00 रू० का अधिक भुगतान श्री सुदर्शन सिंह संविदाकार को किया गया था उसका विवरण निम्न दर्शाया गया।

प्रतिभूति राशि - सिक्योरिटी

	रू०
i) निर्माण दो कमरे राजकीय डिग्री कॉलेज रूड़की - प्रतिभूति राशि	8223.00
ii) निर्माण दोनों मूत्रालय और दो नम्बर लैट्रीन, तहसील कार्यालय - प्रतिभूति राशि	1607.00
iii) निर्माण पु० डोप नाली रूड़की मोहल्ला गेंड़ प्रतिभूति राशि	1958.00
iv) निर्माण हैजा (रिटेनिंग वाल) नजदीक हस्पताल रूड़की - प्रतिभूति राशि	1795.00

धरोहर राशियाँ

i) निर्माण मूत्रालय और लैट्रीन तहसील कार्यालय की रसीद संख्या 1/870 दिनांक 6.2.95	700.00
iii. निर्माण पु० डोप नाली रूड़की मोहल्ला गेंड़ की रसीद संख्या 34/864 दि० 19-1.95	400.00
iv) पैवमेंट (जुध्यक महादेव रास्ता) की रसीद संख्या 34/865 दि० 22.5.95	600.00
योग जो दर्शाया गया	17941.00 रू०
कमी धरोहर राशि जो जब्त की गई	(-) 600.00 रु
बकाया शेष	16641.00 रु

प्रशासक महोदय (प्रधान नगर पंचायत रूड़की) द्वारा मु० 600/- रू० की धरोहर राशि को कार्य (पैवमेंट जुध्यक महादेव रास्ता) सन्तोषजनक न होने के कारण जब्त (Forfeited) कर लिया गया था।

इस प्रकार संविदाकार को कुल देय राशि 14683.00 रू० थी परन्तु भुगतान 16641.00 रू० का किया गया था इसी प्रकार मु० 1958.00 रू० का अधिक भुगतान किया गया।

(व) निम्न मामलों में संविदाकारों एवं सप्लायर्स को गलत गणना करके 385/- रु० का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सम्बन्धित से करके नजर पर्यवेक्षण विभाग के ज्ञान कराई जाए तथा कार्यवाही आगामी निरीक्षण में प्रस्तुत करें। विवरण निम्न प्रकार से है।

वाउचर संख्या/माह	जिसे भुगतान किया गया	कार्य	भुगतान किया गया	भुगतान योग्य राशि	अधिक भुगतान	विवरण
6, माह 4/95	श्री सुरजीत सिंह, संविदाकार	प्रथम चलत बिल — प्रयोगशाला का निर्माण और सी० ए० का फर्श की मरम्मत हेतु	२०,४५३/-	२०,१६५/-	२८८/-	चैक नम्बर २३९६१ दिनांक २४-४-९५ द्वारा भुगतान किया गया।
३४४, माह 1/96	श्री मोहन सिंह, संविदाकार	द्वितीय चलत बिल — फर्श निर्माण कार्य — राजकीय अस्पताल	२१,९९७/-	२१,९५७/-	४०/-	चैक नम्बर १९२८५ दिनांक ३१-१-९६
58, माह 6/95	श्री जयदेव कौशिक, संविदाकार	रेत बजरी आदि सप्लाई करने के लिए	5,२४5/-	5,२६5/-	२०/-	चैक संख्या ४८१९४ दिनांक 8-6-95
70, माह 7/96	मै० महालक्ष्मी ट्रेडर्स, हाउस [illegible]	पानी की पाइप के सामान का क्रय	517/-	480/-	37/-	बिल संख्या 1599 दिनांक 17-6-96, 300/- रु० दिये थे,

कुल 385=0

(II-31) ✓ वाउचर नं० 308 से 315 माह 3/97 राशि 26964.0 रु०

वाउचर नं० 315 माह 3/97 राशि 2000/-

रु० 2000/- कार्यालय द्वारा भुगतान/निकासी - दुर्विनियोग

श्री उमेद चंद तलवार ने कैश चैक नं० 031926 दिनांक 15.3.97 स्टेट बैंक आफ पटियाला बातल, खाता नं० 169 से विभिन्न बिलों की अदायगी हेतु रु० 26964.0 रु० की राशि का आहरण किया जिसका विवरण निम्न है।-

वाउचर नं०	दिनांक	राशि रु०	विवरण
308	15.3.97	15859	अदायगी अग्रिम राशि श्री जितेन्द्र कुमार क० अ० स्वी बाबत क्रय करने आयरन
309	15.3.97	4190	अग्रिम राशि श्री जितेन्द्र कुमार क० अ० स्वी बाबत क्रय करने सीमेंट
310	15.3.97	3960	अग्रिम राशि श्री जितेन्द्र कुमार क० अ० स्वी बाबत क्रय करने अलमारी
311	15.3.97	135	श्री अशोक कुमार डाइरेक्टर को भाड़ा
312	15.3.97	205	मै० मनोज गुड्स ट्रांसपोर्ट को भाड़ा
313	15.3.97	578	श्री मीमचंद नम्बरदार को माहवार मानदेय
314	15.3.97	337	मै० प्रेम हार्डवेयर स्वी
315	15.3.97	2000/-	श्री शशीकांत पंडित एडवोकेट शुल्क केस नारायणगढ़ पं० स० पंचायत स्वी
	योग	26964.4 रु०	

अंकेक्षण में पाया गया कि खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (एस० डी० एम० स्वी, आहरण एवं वितरण अधिकारी) द्वारा [illegible] पंडित एडवोकेट के बिल/प्रार्थना पत्र पर यह आदेश/निर्देश किये कि श्री शशीकांत एडवोकेट को अदायगी केवल चैक द्वारा ही करें और दिनांक 18.3.97 को स्टेट बैंक आफ पटियाला बातल खाता नं० 169 से एक चैक नं० 031927 राशि रु० 2000/- का भी निकासी की गई थी परन्तु रोकड़ बही में कोई भी बिल/वाउचर रु० 2000/- का दिनांक 18.3.97 को दर्ज नहीं पाया। चैक बुक नं० 031920 से 031930 तक की अन्तिम पर्ची में चैक

जमा करने का कोई विवरण नहीं था इसको जमा भी नहीं किया गया जब कि अतिरेक राशि का जमा करना आवश्यक है जिस कारण से यह सुनिश्चित नहीं हो सका कि चैक सं0 031127 दिनांक 18.2.97 द्वारा मु0 2000/- रु का भुगतान किसको किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि चैक न0 031127 दिनांक 18.3.97 द्वारा मु0 2000/- रु की राशि का आहरण श्री राजीकान्त पंडित एडवोकेट को फिस/काउन्टर केस नरौरा बनाम नगर पंचायत कार्य हेतु किया होगा परन्तु मु0 2000/- रु की राशि का आहरण चैक न0 031126 द्वारा पहले ही किया जा चुका था और मु0 2000/- रु की प्राप्तकर्ता की रसीद भी नगद प्राप्ति की रिकार्ड में थी। अतः सचिव नगर पंचायत नरौरा यह सुनिश्चित करें कि जो राशि चैक न0 031127 द्वारा मुबलिग 2000/- रु की आहरण की गई उसका दोबारा भुगतान श्री राजीकान्त पंडित एडवोकेट को तो नहीं कर दिया गया या इस राशि का किसी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा दुरुपयोग तो नहीं किया गया। अतः सचिव इसकी पूरी जाँच करके वास्तविक तथ्यों से इस विभाग को अवगत कराये तथा दोहरा भुगतान होने की स्थिति में राशि ब्याज सहित दोषी अधिकारी/कर्मचारी से वसूल करके पंचायत निधि में जमा कराना सुनिश्चित करें।

(ड) निम्न तथ्यों में जाँच करते समय जो अनियमित भुगतान किया गया था जिसका विवरण टिप्पणी में दर्शाया जा रहा है। अनियमित भुगतान की वसूली करके नगर पंचायत की निधि में जमा कराई जाए।

25 — (23)

वाउचर संख्या/माह	जिसे भुगतान किया गया	कार्य	भुगतान की गई राशि	भुगतान योग्य राशि	अधिक भुगतान/वसूली	विवरण
99, माह 1/96	मै० [illegible] [illegible]	[illegible] के लिए	1860.00	1460.00	400.00	चैक सं० 443310 दिनांक [illegible]-1-96 द्वारा [illegible] की गई
92, माह 4/95 राशि 4,633/- [illegible] 377, माह 2/96 राशि 8,849/- 378, माह 2/96 राशि 9,880 [illegible]	दी मैट्रो [illegible]	[illegible] के लिए	23,349/-	23,225/-	124/-	मैट्रोटैक की [illegible] नहीं की गई [illegible] के प्रस्तुत करें!
			(इनवॉइस नं० 1958 दिनांक 19-12-95 राशि 23,[illegible]/- इनवॉइस नं० 1959 दिनांक 19-12-95 राशि 9,860/-)			
86, माह 5/94	श्री [illegible], [illegible]	[illegible] के लिए	2500/-	2280/-	220/-	(i) 1000 [illegible] का मूल्य 2.25 [illegible] प्रति [illegible] देय था जबकि भुगतान [illegible] 2.50 की दर से किया गया।
			((ii) हिन्दू म्युनिसिपल [illegible]-1975 के नियम 174 के अन्तर्गत [illegible] द्वारा देय था जबकि भुगतान नगद किया गया।)			
ह (i) 106, माह 8/96	श्री [illegible], [illegible]	400 फीट [illegible] के लिए	1100/-	1000/-	100/-	भुगतान 2.50 प्रति फीट की दर से देय था जबकि भुगतान 2.75 प्रति फीट की दर से किया गया।
ह (ii) 111, माह 11/96	श्री [illegible], [illegible]	[illegible] कार्य करने के लिए	555/-	336/-	219/-	वाउचर सं० 111 माह 11/96 द्वारा 555/- रु० का भुगतान [illegible] के लिए किया गया जबकि [illegible] 336/- [illegible], [illegible] राशि 219/- की वसूली की जाए।

(5) वाउचर सं० 275 मास 2/97 राशि 8800/-रू०

मुबलिग 8800/-रू० का भुगतान मैं० राजु इन्जीनियरिंग वर्क्स अर्की को बिल न० 002 दिनांक 5-2-97 बाबत 8 न० डस्टबीन (कूड़ादान) का किया गया, इस भुगतान में निम्न अनियमितताएं पाई गई

(1) अंकेक्षण में पाया गया कि तीन फर्मों की निविदाओं रिकार्ड में उपलब्ध थी जो व्यक्तिगत रूप से एकत्रित की गई थी

i मैं० राजु इन्जीनियरिंग वर्क्स अर्की मु० 1100/-रू० प्रति डस्टबीन

ii मैं० अशोका स्टील फैब्रीकेशन अर्की मु० 1200/-रू० प्रति " "

iii मैं० शाउवि इन्जीनियरिंग वर्क्स बंगडी मु० 1300/-रू० प्रति " "

तुलनात्मक विवरणिका के अनुसार मैं० राजु इन्जीनियरिंग वर्क्स अर्की की न्यूनतम दर थी और सचिव नगर पंचायत अर्की (आहरण एवं वितरण अधिकारी, उपमण्डलाधिकारी (ना०)) ने बातचीत करके मैं० राजु इन्जीनियरिंग वर्क्स अर्की का प्रति डस्टबीन मूल्य 1000/-रू० तय किया गया।

(2) परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि फर्म द्वारा बिल न० 002 दिनांक 5-2-97 बाबत सप्लाई करने 8 न० डस्टबीन का दर 1100/-रू० प्रति डस्टबीन से मु० 8800/-रू० का दिया गया, और नगर पंचायत ने फर्म को बिल का भुगतान मु० 8800/-रू० नकद ही कर दिया गया जबकि दर 1000/-रू० प्रति डस्टबीन की दर से मु० 8000/-रू० ही देय थी इस प्रकार मु० 800/-रू० का अधिक भुगतान मैं० राजु इन्जीनियरिंग वर्क्स अर्की को किया गया जिसकी वसूली फर्म से की जाये अन्यथा सम्बन्धित दोषी अधिकारी / कर्मचारी से करके इस निदेशालय को सूचित किया जाये।

(3) हिमाचल प्रदेश म्युनीसिपल एकांउट कोड 1975 के अनुसार 50/-रू० से ऊपर का भुगतान नियमानुसार चैक द्वारा आपेक्षित है परन्तु बिल का भुगतान सैल्फ चैक न० 319076 दिनांक 13-2-97 राशि 16720/-रू० द्वारा निकलवा कर नकद ही किया गया जिसको न्यायोचित ठहराया जाये।

चैक का विवरण निम्न है।

मु० 7920/-रू० मैं० इन्डस्ट्रीयल ट्रेडर्स चण्डीगढ़ नकद भुगतान

मु० 8800/-रू० मैं० राजु इन्जीनियरिंग वर्क्स अर्की नकद भुगतान

16720/-रू०

आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा स्वीकृति आदेशों की अवहेलना का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि को दोषी अधिकारी / कर्मचारी से वसूल करके पंचायत निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए और तदानुसार इस निदेशालय को सूचित किया जाये।

8. दुकानों।स्टालों के किराये की वसूली !-

(क) अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत क्षेत्र में [illegible] दुकानें। स्टालों जो विभिन्न दुकानदारों को आवंटित की गई थी दिनांक 31-3-1997 को मुबलिग 49,730.00 रु० बाबत किराये की वसूली करनी शेष थी जिसका विवरण निम्न दर्शाया गया है अतः सचिव नगर पंचायत द्वारा किराये की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये और अनुपालन आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

क्र.सं.	दुकानदार का नाम	दुकान नं.	देयराशि	टिप्पणी
			रु०	
1	श्री दीनानाथ	1	350.00	
2	" लोचक राम	2	380.00	
3	" कोरे लाल	3	960.00	
4	" नरेश कुमार	4	775.00	
5	" नेक राम	5	950.00	
6	" जगदीश चंद	6	2,180.00	
7	" भूपेन्द्र सिंह	7	450.00	
8	" नरेश कुमार	8	985.00	
9	" कर्तिक राम	9	390.00	
10	" अमर सिंह	10	1170.00	
11	" शैलेश कंवर	11	420.00	
12	" बली राम	12	1800.00	
13	" सुरेश कुमार	13	2380.00	
14	" साबर अली	14	210.00	
15	" मनी राम	15	420.00	
16	" पिरदे राम	1	750.00	अम्बेडकर मार्केट
17	श्रीमति कला देवी	2	3250.00	"
18	श्री लेख राज	3	2250.00	"
19	" धर्मपाल	5	1750.00	"
20	" चैतराम	6	750.00	"
21	" किशोर कुमार	7	2000.00	"
22	" पंडू राम	8	1000.00	"
23	" दीप राम	9	500.00	"
24	" जमाल राम	10	1000.00	"
25	" राजेन्द्र कुमार	11	1750.00	"
		योग	37,180.00 रु०	

4. स्लाटर हाऊस फीस

नगरपंचायत अर्की के स्लाटर हाऊस के रजिस्टर और पशु चिकित्सक अर्की की मासिक पशु वध विवरणिका की जांच करते समय ऐसा प्रतीत होता है कि नगरपंचायत ने कुछ मीट विक्रेताओं से प्रति गज कम वसूली की गई जिसका विवरण निम्न वर्णित है। अतः यह वसूली सम्बन्धित मीट विक्रेताओं से अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी।कर्मचारी से वसूल करके नगरपंचायत निधि में शीघ्र जमा की जावे और तदानुसार इस निदेशालय को सूचित करें।

मीट विक्रेता का नाम/ रजिस्टर पृष्ठ सं०	अवधि	कुल गज	प्रति गज शुल्क	कुल वसूली योग्य राशि	राशि जो वसूल की गई।	कम वसूली गई राशि
श्री कमलेश कुमार पृष्ठ सं० -14	1994-95	285	2-00	570-00	144-00 रसीद 37/868 दि० 27/10/94	426-00
श्री लालु राम पृष्ठ सं० -12.	1995-96	377	2-00	754-00	100-00 रसीद 39/872 दि० 7/95	654-00
श्री कमलेश कुमार पृष्ठ सं०- 14.	1995-96	215	2-00	430-00	200-00 रसीद 40/872 दि० 7/95	230-00
श्री कमलेश कुमार पृष्ठ सं० - 15.	1996-97	136	2-00	272-00	—	272-00
						1582-00

इस की पूर्ण जांच करके इस निदेशालय को तदानुसार सूचित किया जावे।

2/8/15

26/875 शून्य 10/- रु० " सनम नेगी

28/875 शून्य 160/- रु० " राजेन्द्र कुमार भवननिर्माण शुल्क

29/875 शून्य 160/- रु० " राजेन्द्र कुमार भवन निर्माण शुल्क

1570=00

गृहकर

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 65 (1) के अनुसार प्रत्येक नगरपंचायत नगरपंचायत क्षेत्र में भवनों। जमीनों पर इनके वार्षिक मूल्य का कम से कम 7½ % की दर से राज्य सरकार की पूर्ववत् स्वीकृति से गृहकर अधिरोपित करना आपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि नगरपंचायत अर्की ने अवधि 4/94 से 3/97 तक नगर पंचायत क्षेत्र में गृहकर अधिरोपित नहीं किया है, जिसको न्यायोचित ठहराया जावे। अत: सचिव नगरपंचायत अर्की सरकार के निर्देशानुसार गृह कर अधिरोपित करे, तदानुसार इस निदेशालय को सूचित करें।

अनुत्पादक कार्यों पर व्यय :-

हिमाचल सरकार के पत्र संख्या फिन-1-सी/14/1/83 दिनांक 10-5-89, बावत खर्चे में कमी के उपाय में पैरा नं० 5(i) के अनुसार अनुत्पादक कार्यों पर व्यय पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया था तथा यह भी निर्देश दिये गये थे कि यह पाबन्दियां विज्ञापनों स्मारिकाओं व समाचार पत्रों में विज्ञापन देने पर भी लागू होगी।

परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि उपरोक्त निर्देशों की अनदेखी/अवहेलना की गई जिसके कुछ उदाहरण निम्न दिये हैं इस प्रकार अनुत्पादक कार्यों पर जो व्यय किया गया उसको न्यायोचित ठहराया जावे और निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जावे और भविष्य में निर्देशों की पालना की जावे।

वाउचर नं०	दिनांक	राशि	ब्यौरा
52	6/95	1000-00	श्री रामलाल पाठक, जनसत्ता संवाददाता धर्मशाला को विज्ञापन हेतु "अर्की शहर के विकास हेतु नगरपंचायत अर्की द्वारा वर्ष 1994-95 में करवाए गए कार्य।
246	12/95	1100-00	— यथोपरि —
244	1/97	4500-00	श्री जैन वर्मा पत्रकार दैनिक जागरण बावत विज्ञापन, "नगर पंचायत ~~अर्की~~ हार्दिक स्वागत करती है"

है, अत: सचिव नगर पंचायत अर्की, उपरोक्त नियमानुसार रोकड़ बही को लिखा जावे और इसकी अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जावे।

अग्रिम राशि के भुगतान बारे में

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा भिन्न-2 कार्यों के लिये जैसे कि सीमेंट, बजरी इत्यादि के लिये अग्रिम राशि का अलग-2 समय पर आहरण किया जाता रहा जिसके कुछ उदाहरण निम्न दिये जाते हैं। परन्तु आहरण की गई अग्रिम राशियों को हिमाचल प्रदेश म्युनिसीपल एकाउंट कोड 1975 के नियम 256 के अनुसार बनाये गये अग्रिम रजिस्टर (फार्म आर०-12) पर दर्ज नहीं किया जाता रहा जो कि नियमों के विपरीत है, तथा इससे यह जांचने में भी कठिनाई आई कि क्या समस्त अग्रिम राशियों का समायोजन कर लिया गया था या नहीं। इस बारे में पहले भी पैरा नं० 7(i) अंकेक्षण अवधि 4/89 से 3/95 में भी अनुरोध किया गया था कि उपरोक्त रजिस्टर नियमों के अनुरूप बनाये जाये तथा समस्त अग्रिम राशियों का विवरण इसमें दर्ज किया जाये परन्तु इसकी कोई अनुपालना नहीं की गई।

अतः सचिव नगर पंचायत उपरोक्त रजिस्टर फार्म आर०-12 पर नियमानुसार तैयार करें। ~~अनुपालना~~ आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत ~~करें~~

वाउचर सं०	दिनांक	राशि	विवरण
7.	18-4-94	5700/- रु०	श्री जगदीश चन्द तंवर बाबत क्रय करने हेतु सीमेंट।
13.	18-4-94	2500/- रु०	श्री जगदीश चन्द तंवर बाबत क्रय करने हेतु बिजली का सामान।
181.	24-11-94	500/- रु०	श्री शशिकांत बाबत क्रय करने बजरी।
231.	9-01-95	6000/- रु०	श्री जितेन्द्र कुमार कार्य० अधिकारी नगर पंचायत बाबत क्रय करने सीमेंट।
213.	16-11-95	300/- रु०	श्री शशिकांत यात्रा भत्ता चण्डीगढ़ का।
247.	14-12-95	2000/- रु०	श्री कुलभूषण अधिवक्ता की फीस।
414.	31-03-96	1000/- रु०	श्री जगदीश चन्द तंवर बाबत क्रय करने ~~बिजली~~ डिजल।
414.	31-03-96	1000/- रु०	श्री जगदीश चन्द तंवर बाबत क्रय करने बिजली
34.	7/96	420/- रु०	श्री जगदीश चन्द तंवर बाबत खरीदने डिजल

32	5/95	21000/- रु०	श्री जगदीश चन्द नम्बर बाबत खरीदने ट्रैक्टर ट्राली।
380	15/3/96	10000/- रु०	श्री शशिकांत बाबत क्रय करने बिजली का सामान।
54	6/96	1000/- रु०	श्री शशिकांत बाबत क्रय करने घास।
56	6/96	1000/- रु०	श्री शशिकांत बाबत क्रय करने गमले।
97	8/96	483/- रु०	श्री किशन चन्द ड्राईवर बाबत क्रय करने डिजल।
98	8/96	800/- रु०	श्री किशन चन्द ड्राईवर बाबत क्रय करने इंजन आयल।
308	15/3/97	15859/- रु०	श्री जितेन्द्र कुमार क० अभियन्ता नगर पर्यावरण बाबत क्रय करने सरिया।
309	15/3/97	4190/- रु०	श्री जितेन्द्र कुमार क० अभियन्ता नगर पर्यावरण बाबत क्रय करने बूट सैट इत्यादि।
310	15/3/97	3960/- रु०	श्री जितेन्द्र कुमार क० अभियन्ता नगर पर्यावरण बाबत क्रय करने अलमारी।
123	9/96	483/- रु०	श्री किशन चन्द, ड्राईवर बाबत क्रय करने डिजल।
181	11/96	555/- रु०	श्री किशन चन्द ड्राईवर बाबत क्रय करने डिजल।
375	3/96	1500/- रु०	श्री किशन चन्द ड्राईवर बाबत मुरम्मत ट्रैक्टर
		83,250/-रु	

(ख) (1) अग्रिम राशियों के समायोजित लेखे

अग्रिम राशियों के समायोजित लेखों की पड़ताल करते समय पाया गया कि समायोजित राशियों के बिल / वाउचर को सक्षम अधिकारी (आहरण एवं वितरण अधिकारी) द्वारा पारित व प्रतिहस्ताक्षरित नहीं करवाया गया।
अतः सभी समायोजित लेखों के वाउचरों / बिलों को सक्षम अधिकारी से पारित व प्रतिहस्ताक्षरित करवा के अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें। कुछ समायोजित लेखों में जो अंकेक्षण आपत्तियां पाई गई उनका विवरण निम्न दिया जा रहा है।

क्रम संख्या	वाउचर संख्या व तारीख	जिसे अग्रिम भुगतान किया	कार्य जिसके लिए अग्रिम भुगतान किया	राशि	समायोजन राशि / राशि कम/अधिक वापिस	वापिस राशि	टिप्पणी
1.	7, दिनांक 8/94 (18-4-94)	श्री जगदीश - तनवर	सीमेंट क्रय करने के लिए	5,700/-	5,510/-	190/-	मैं० कमल ट्रेडर्स कर्मी से बिल नम्बर 2399 दिनांक 19-4-94 द्वारा सीमेंट क्रय किया गया।
2.	13, दिनांक 4/94 (18-4-94)	उपरोक्त	बिजली का सामान क्रय करने के लिए	3,300/-	3,287/-	13/-	बिजली सामान मैं० विजय इलेक्ट्रिक [illegible] से बिल संख्या 925 दिनांक 25-4-94 द्वारा क्रय किया गया
3.	181, दिनांक 11/94 (25-11-94)	श्री [illegible]	बिजली सामान क्रय करने के लिए	500/-	458/-	42/-	मैं० [illegible] हाउस, [illegible] से बिल संख्या 3346 दिनांक 25-11-94 द्वारा बिजली क्रय की गई।
4.	231, दिनांक 1/95 (9-1-95)	श्री जितेन्द्र [illegible], सहायक अभियन्ता	सीमेंट क्रय करने के लिए	6,000/-	5,876/-	124/-	हि.प्र. स्टेट सिविल सप्लाई निगम से बिल संख्या 5187 दिनांक 9-1-95 द्वारा सीमेंट क्रय किया गया।
5.	549, दिनांक 2/96 (31-2-96)	श्री जगदीश - तनवर	डीज़ल क्रय करने के लिए	1000/-	979/-	21/-	दिनांक 22-3-96 से 25-5-96 की अवधि में रु० 979/- का डीज़ल क्रय किया गया।

डीज़ल क्रय किया गया।

वाऊचर सं० 300 दिनांक 3/96 राशि 10000/-रू०

मु० 10000/-रू० अग्रिम राशि का भुगतान श्री शशिकांत वर्मा, सफाई पर्यवेक्षक को बाबत क्रय करने डस्टबीन व रेहड़ी के टायर हेतु किया गया। इसके समायोजित लेखे की पड़ताल करते समय निम्न अनियमितताएँ पाई गई।

1. बिल सं० 4799 दिनांक 15-3-96 राशि 8800/-रू० बाबत चार डस्टबीन क्रय करने।
बिलों की पड़ताल करते समय पाया गया कि डस्टबीन खरीदने हेतु श्री शशिकांत द्वारा तीन निविदाएँ
1. मैं० इन्डस्ट्रीयल ट्रेडर्स चंडीगढ़ मु० 2000/- प्रति डस्टबीन
2. मैं० चंडीगढ़ इन्डस्ट्रीयल कारपोरेशन चंडीगढ़ मु० 2350/- -यथोपरि-
3. दि परशियन मशीनरी प्राईवेट लिमिटेड चंडीगढ़ मु० 2490/- यथोपरि-
हस्तगत दिनांक 15-3-96 को ही एकत्रित की गई। इस प्रकार औपचारिकता हेतु तीन निविदाएँ हस्तगत एकत्रित करने का औचित्य स्पष्ट किया जावे अधिक निविदाओं को नियमानुसार आमंत्रित किया जाना आपेक्षित था।

2. मु० 8800/-रू० का भुगतान फर्म को नकद किया गया जो कि हिमाचल प्रदेश म्युनुसीपल एकांउट कोड 1975 के नियम 74 की उल्लंघना है, जिसको नियमोचित ठहराया जावे।

3. नकद भुगतान करते समय न तो कैशमीमो प्राप्त की गई, और न ही निर्दिष्ट फार्म पर रसीद प्राप्त की गई, जिसका औचित्य भी स्पष्ट किया जावे।

4. समायोजित लेखे के वाऊचरों को सचिव, नगर पंचायत (आहरण एवं वितरण अधिकारी) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं करवाया गया जिसको नियमोचित ठहराया जावे।

5. मु० 660/-रू० का नकद भुगतान मैं० इन्डस्ट्रीयल ट्रेडर्स चंडीगढ़ को बाबत चार नम्बर रबड़ टायर हेतु किया गया, बिल नं० 4800 दिनांक 15-3-96

अतः उपरोक्त चूकों की अनुपालना शीघ्रातिशीघ्र लेखा में प्रस्तुत की जावे।

10) वाउचर न० 708 मार्च 3/97 राशि 15,859.0 रु०

मुबलिग 15859.0 रु० की अग्रिम राशि का भुगतान श्री जितेन्द्र कुमार कनिष्ठ अभियन्ता को सामान क्रय करने अथवा निर्माण कार्यों हेतु दिया गया। इसके समायोजित बिलों में निम्न आपत्तियां पाई गई:

1) श्री जितेन्द्र कुमार कनिष्ठ अभियन्ता ने मै० पंकज इन्टरप्राईज हार्डवेयर हीमाल सोलन से कैश मैमो न० 3407 दिनांक 17.3.97 द्वारा मुबलिग 14059.70 रु० का भिन्न-भिन्न सरिया (डाया) का सरिया क्रय किया गया। यह सरिया बिना निविदाऐं आमंत्रित किये क्रय किया गया जिसे न्यायोचित ठहराया जावे और इस क्रय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जावे तथा समायोजित बिलों को सचिव नगर पंचायत (कोषाध्यक्ष एवं निरस्त्र अधिकारी) से प्रति हस्ताक्षर करवाया जावे और सम्बन्धित सामान की रजिस्टर में दिखाई जावें।

और मुबलिग 800/- रु० रेलवे आर्डर मैं० ट्रांसपोर्ट कम्पनी कोई को ट्रक का भाड़ा सोलन से कंडी सरिया लाने बाबत दिया गया। अतः इस प्रकार मु० 1000/- रु० श्री जितेन्द्र कुमार कनिष्ठ अभियन्ता के पास कैश रहा ~~जो 18.5.97 को ... द्वारा समायोजित किया गया~~ इस प्रकार यह राशी को पंचायत निधि में वापिस जमा न करवाकर अपितु 15-3-97 से 18.5.97 लगभग दो मास तक नगर पंचायत निधि का दुरुपयोग किया गया जिसको न्यायोचित ठहराया जावे। अन्यथा इस राशी को ब्याज सहित प्राप्त किया जावे।

इस शेष राशी मु० 1000/- रु० का समायोजित बिलों इस प्रकार दर्शाया गया।—

बिल नं० 628 दिनांक 18.5.97 राशी 187.50 रु० बाबत कारीगर और बिल नं० 626 दिनांक 16.5.97 राशी 806.0 , बाबत सरिया 12 कि०ग्रा० यह क्रय मै० कौशल जनरल स्टोर कंडी से किया गया था परन्तु इन बिलों की प्राप्ती रसीदें भी उपलब्ध नहीं करवाई गई जोकि यह भुगतान

अग्रिम राशी से लिए गया तो इसकी तो कैश मीमो ही अपेक्षित थी। बैल फेडरेशन को समायोजित ठहराया जाये और बिलों को आहरण एवं वितरण अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर करवा कर इसकी अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

कुल अग्रिम राशी	= 15859.40 रु
कुल समायोजित राशी	
रु 14054.70 (+) 187.50 (+) 806.40 रु +600.00	= 15853.40 रु
	6.00 शेष राशी

अतः 6 रु की राशी जो अभी अग्रिम राशी में शेष है उसकी वसूली कर के नगर पंचायत निधि में जमा करवाया जाये और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

(2) वाउचर नं० 390 मास 3/97 राशी : = 3960.00 रु

उक्त बिल 3960 रु की अग्रिम राशी का भुगतान श्री विनोद कनिष्ठ अभियन्ता को ... दो स्टील ऑफिस अलमारी क्रय करने हेतु दिनांक 15.3.97 को किया गया। इसके समायोजित लेखों में निम्न अनियमितताएँ पाई गई।

(i) अग्रिम राशी दिनांक 15.3.97 को दी गई थी परन्तु एक अलमारी हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी ... के बिल संख्या 596 दिनांक 23.4.97 को क्रय की गई इस प्रकार मु० 3960/- रु को एक मास तक दुरुपयोग किया गया जिसको न्यायोचित ठहराया जाये और श्री विनोद कुमार से दंड ब्याज इस अवधि का प्राप्त किया जाये और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

(ii) और बिल नं० 632 दिनांक 26.4.97 और मु० 1900/- रु का भुगतान मै० बादल जनरल स्टोर अर्की को

बाबत दो रैक स्टील तीन सैल्फ वाले (साईज अंकित नहीं) का क्रय किया गया परन्तु अग्रिम मांगी गई दो अलमारियाँ क्रय करने हेतु की गई थी जब कि कनिष्ठ अभियन्ता श्री वीरेन्द्र कुमार द्वारा केवल एक ही अलमारी क्रय की गई और दो रैक बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के क्रय किये गये जिसको न्यायोचित ठहराया जाये और सक्षम अधिकारी से इसे क्रय करने की स्वीकृति प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

(iii) रैक का क्रय बिना निविदायें आमंत्रित किये किया गया जिसे न्यायोचित ठहराया जाये और इस क्रय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

(iv) भंडारण रजिस्टर में भी इन रैकों की प्रविष्टी नहीं दर्शाई गई और सम्बन्धित लेखों के बिलों, कैश मीमों को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर एवं पारित नहीं करवाया गया अतः अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

(v) मैं० बाघले जनरल स्टोर रूड़की ने बिल क्र० 632 बाबत दो रैक स्टील दिनांक 26.5.97 को जारी किया जब कि इसी फर्म द्वारा बिल क्र० 626 बाबत शीशा मु० 860/- का और बिल क्र० 628 बाबत तार मु० 167.50 रु० दिनांक 18.5.97 को जारी किये जो कि सम्भव नहीं है। अतः सचिव नगर पंचायत रूड़की इस को पूरी छानबीन कर के इस निदेशालय को तदानुसार सूचित करें।

वाउचर सं० 54 मार्च 6/96 राशि 1000/- रु०
व्हाउचर सं० 56 मार्च 6/96 राशि 1844/- रु० -43- (57)

मुताबिक 2000/- रु० अग्रिम राशि श्री अंग्री नाम सर्वेट पर्यवेक्षक को चण्डीगढ़ से नगर पंचायत मालि के लिये ब्लास्ट (कोरियल धागा) क्रय करने हेतु दिया गया। यह अग्रिम चैक सं० 193868 दिनांक 27.6.96 व चैक सं० 193867 यू० को० बैंक शर्की से श्री अधीक्षक द्वारा आहरण की गई थी इस अग्रिम का समायोजित लेखा निम्न दर्शाया गया था :-

(1) मैं० दुर्गा नर्सरी मनीमाजरा के बिल सं० 8763 दिनांक 27.6.96 द्वारा कोरियल धागा 8 बैग दर 200/- रु० प्रति बैग से मुताबिक 1600/- रु० का भुगतान दर्शाया गया था परन्तु सचिव नगर पंचायत शर्की (एस० डी० एम० शर्की-आहरण एवं वितरण अधिकारी) ने दिनांक 26.6.96 को नोटिंग शीट पर यह आदेश निदेश दिये थे कि केवल 6 बैग ही कोरियल क्रय किये जाये अतः 8 बैग कोरियल धागा क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये और समायोजित बिल को सचिव नगर पंचायत शर्की से न तो पारित। प्रतिहस्ताक्षरित करवाया और न ही स्टाक रजिस्टर में इस कोरियल धागा का इन्द्राज किया गया था

(ii) बिल/ कैश मीमो सं० 8763 की जांच करने पर प्रतीत होता है कि 5 बैग, दर 200/- रु० प्रति बैग से कुल 1000/- रु० के क्रय किये गये थे परन्तु इसमें कटिंग करके 8 बैग दर 200/- रु० प्रति बैग से कुल 1600/- रु० दर्शाया गया है अतः सचिव नगर पंचायत छानबीन कर के यह सुनिश्चित करें कि मैं० दुर्गा नर्सरी मनीमाजरा ने कैश मीमो / बिल सं० 8763 दिनांक 27.6.96 द्वारा 1000/- रु० में 5 बैग या 1600/- रु० में 8 बैग वास्तव में प्राप्त किये गये अतः उपरोक्त धागे की उपयोगिता की जांच तथा तदानुसार इस निदेशालय को सूचित किया जाये।

समायोजित लेखा जो दर्शाया गया

				रु०
बिल/ कैश मीमो सं० 8763	दि० 27.6.96	मैं० दुर्गा नर्सरी मनीमाजरा		1600.0
मेमो/कैश मीमो सं० 18228	दि० 27.6.96	मैं० प्रधान किलेवार्ड्स स्टेशनरी (ढाक का फूल केवाल हैवर हेतु)		138.60
बिल/ कैश मीमो सं० 38381	दि० 27.6.96	मैं० प्रेम सर्विस स्टेशन कालका (केवाल हैवर के लिये तेल)		105.40
				1844/-

- 44 - (48)

अग्रिम राशि श्री [illegible] 2000/-
समायोजित की गई राशि 1844-60
शेष राशि जो जमा नहीं की गई 155-40

अतः रु० 155-40 रु० की राशि के अभी तक समायोजित बिल प्रस्तुत नहीं किये अतः रु० 155-40 रु० की राशि कर्मचारी से वसूली की जाये और सम्बन्धित निधि में जमा करवाया जाये और इस निदेशालय को तदानुसार सूचित किया जाये।

(IV) (48) वाउचर सं० 375 मास 3/96 राशि 1500/- रु०

मु० 1500/- रु० अग्रिम राशि श्री किशन चन्द चालक को ट्रैक्टर HP11-0888 की मुरम्मत करवाने हेतु दी गई, इसमें निम्न अनियमिततायें पाई गई :-

1. मुरम्मत की कोई अनुमानित विवरणिका तैयार नहीं की गई और मुरम्मत हेतु निविदायें भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई।
2. अग्रिम राशि के समायोजित लेखे में निम्न बिल रिकार्ड में थे।

बिल सं०	दिनांक	राशि	फर्म का नाम
58	15-3-96	1110-00	मै० सैनी ट्रैक्टर स्टोर मनीमाजरा
652	15-3-96	60-00	मै० मनमोहन आटो मीटर - " "
632	15-3-96	75-00	— यथोपरि —
072	15-3-96	105-00	मै० सुरजीत इलैक्ट्रीकल वर्कर्स मनीमाजरा (जॉब वर्क्स)
	15-3-96	150-00	मै० तरुण फिलिंग स्टेशन डिजल 21.5 लिटर

उपरोक्त बिलों को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित व पारित नहीं करवाया गया।

3. ट्रैक्टर की मुरम्मत हेतु जो कलपुर्जे खरीदे गये और जो पुराने कलपुर्जे बदले गये इनकी प्रविष्टि डैड स्टाक रजिस्टर में नहीं दिखाई गई।
4. ट्रैक्टर का नियमानुसार रखरखाव रजिस्टर भी नहीं लगाया गया।

अतः उपरोक्त सभी चूकों की अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाये।

6. नकद भुगतान बारे

हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एकाउंट कोड 1975 के नियम 174 के अनुसार यदि देय राशि 50/- रु० से अधिक हो तो भुगतान चैक द्वारा किया जाना अपेक्षित है। परन्तु नगर पंचायत अर्की द्वारा लगभग समस्त भुगतान नकद ही किया गया, जिसके कुछ उदाहरण निम्न दिये जा रहे हैं, जो कि नियमों के प्रतिकूल था। इस बारे में पहले भी अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/95 के पैरा नं० 13 में भी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतः भुगतान नियमों की जो अवहेलना की गई इसका औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा नकद भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करके नकद भुगतान को नियमित करवाया जाये तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें।

(1) चैक नं० 0147125 दिनांक 9-5-94 राशि 22626/- रु०
यूको बैंक अर्की, खाता सं० 2347
वाउचर सं० 26 से 39

वा० नं० 26 से 30	राशि 7102/- रु०	श्री बालक राम, संविदाकार को बाबत रेत सप्लाई, भुगतान नकद किया गया।
वा० नं० 33	राशि 734/- रु०	मै० काहलु जनरल स्टोर को भुगतान नकद किया गया
" " 37	राशि 90/- रु०	

(2) चैक नं० 048586 दिनांक 10/94 राशि 20987/- रु०
यूको बैंक अर्की, खाता सं० 2347
वाउचर सं० 128 से 135

वा० नं० 129 और 130	राशि 5065/- रु०	मै० महाजन ग्लास हाउस अर्की, भुगतान नकद किया गया।
वा० नं० 131 और 133	राशि 4450/- रु०	मै० योगी कार्पोरेशन को बाबत सप्लाई दरवाजे भुगतान नकद किया गया
वा० नं० 135	राशि 3000/- रु०	श्री हरीश कौशल, अधिवक्ता भुगतान नकद किया गया।

(3) चैक नं० 0239179 दिनांक 1-11-95 राशि 30676/- रु०
स्टेट बैंक आफ पटियाला, बातल खाता सं० 169
वाऊचर सं० 162 से 173

वा० नं० 167 से 169 राशि 5310/- रु० श्री जगदेव कौशल, संविदाकार बाबत रेत सामग्री भुगतान नकद किया गया

(4) चैक नं० 0443148 दिनांक 1-6-95 राशि 17554/- रु०
यूको बैंक आर्की, खाता सं० 2347
वाऊचर सं० 52 से 55

वा० नं० 55, 56 और 58 राशि 3529/- रु० मै० गोयल ट्रेडर्स आर्की, भुगतान नकद किया गया।

(5) चैक नं० 0193855 दिनांक 1-3-96 राशि 28755/- रु०
स्टेट बैंक आफ पटियाला, बातल, खाता सं० 169
वाऊचर सं० 345 से 362,

वा० नं० 348 राशि 2300/- रु० मै० ठाकुर फर्नीचर हाउस आर्की, भुगतान नकद किया गया।

वा० नं० 349 राशि 1600/- रु० मै० राजू इन्जीनियरिंग वर्क्स, आर्की, भुगतान नकद किया गया।

वा० नं० 351, 352 और 357 राशि 1754/- रु० मै० गोयल ट्रेडर्स आर्की भुगतान नकद किया गया।

(6) चैक नं० 0239770 दिनांक 4/96 राशि 5874/- रु०
स्टेट बैंक आफ पटियाला, बातल, खाता सं० 169
वाऊचर सं० 3 से 8

वा० नं० 3 और 4 राशि 1090/- रु० मै० गोयल ट्रेडर्स आर्की भुगतान नकद किया गया।

वा० नं० 5 राशि 1785/- रु० श्री जीत राम, ठेकेदार बाबत सप्लाई रेत, भुगतान नकद किया गया।

वा० नं० 6 से 8 राशि 2999/- रु० श्री बालक राम, संविदाकार, सप्लाई रेत व बजरी, भुगतान नकद किया गया।

वर्क्स, आर्की, भुगतान नकद किया गया।

-51- -47- 51 -52

(7) चैक नं० 0317017 दिनांक 12-12-96 राशि 21861/- रु०
स्टेट बैंक आफ पटियाला, बातल, खाता सं० 167
वाऊचर सं० 190 से 203

वा० नं० 190 और 194 राशि 718/- रु० मैं० गोयल ट्रेडर्स, अर्की
भुगतान नकद किया गया।
वा० नं० 201 से 203 राशि 5714/- रु० श्री देवी राम संविदाकार,
बाबत सप्लाई रेत व
बजरी, भुगतान नकद किया
गया।

(8) चैक नं० 0317086 दिनांक 8-1-97 राशि 23697/- रु०
स्टेट बैंक आफ पटियाला, बातल, खाता सं० 167.
वाऊचर सं० 222 से 230.

वा० नं० 225 और 226 राशि 2543/- रु० श्री देवी राम संविदाकार
बाबत सप्लाई रेत व
बजरी, भुगतान नकद
किया गया।
वा० नं० 229 और 230 राशि 1384/- रु० मैं० गोयल ट्रेडर्स अर्की
भुगतान नकद किया
गया।

(9) चैक नं० 0317076 दिनांक 2/97 राशि 28767/- रु०
स्टेट बैंक आफ पटियाला, बातल, खाता सं० 167
वाऊचर सं० 253 से 257, 271 से 275

वा० नं० 253 से 257 राशि 8483/- रु० श्री देवी राम ठेकेदार
बाबत सप्लाई रेत व
बजरी, भुगतान नकद
किया गया।
वा० नं० 271 राशि 1200/- रु० श्री कर्मचन्द
अढामजी बाबत शुष्क
शौचालय हेतु अनुदान
भुगतान नकद किया गया
वा० नं० 272 राशि 1200/- रु० श्री रमेश चन्द
अढामजी बाबत शुष्क
शौचालय हेतु अनुदान
भुगतान नकद किया गया
वा० नं० 273 राशि 1200/- रु० श्री [illegible] लाल
अढामजी बाबत शुष्क
शौचालय हेतु अनुदान
भुगतान नकद किया गया।
वा० नं० 274. राशि 7920/- रु० मैं० इण्डस्ट्रियल ट्रेडर्स
चंडीगढ़, भुगतान नकद
किया गया।
वा० नं० 275. राशि 8800/- रु० मैं० राजू इन्जीनियरिंग
वर्क्स, अर्की, भुगतान
नकद किया गया।

(10) चैक नं० 058331 दिनांक 3/97 राशि 28205/- रु०

टी० एल० म०

वाउचर सं० 323 से 348

वा० नं० 325 राशि 433/- रु० मै० जनता भण्डार, अर्की भुगतान नकद किया गया।

वा० नं० 326 राशि 290/- रु० मै० जनता कूट हाऊस, अर्की भुगतान नकद किया गया।

वा० नं० 330 से 332 राशि 1206/- रु० मै० महाजन ग्लास हाऊस अर्की, भुगतान नकद किया गया।

वा० नं० 333 से 336 राशि 1964/- रु० मै० गोपाल ट्रेडर्स, अर्की भुगतान नकद किया गया।

वा० नं० 340 राशि 1238/- रु० मै० मंगल ट्रेडर्स, अर्की भुगतान नकद किया गया।

(11) चैक नं० 031955 दिनांक 3/97 राशि 11545/- रु०

स्टेट बैंक आफ पटियाला, बातल, खाता सं० 169

वाउचर सं० 352 से 355

वा० नं० 352 से 355 राशि 11545/- रु० श्री देवी लाल, ठेकेदार बाबत सप्लाई रेत, बजरी इत्यादि भुगतान नकद किया गया।

लैडिंग	1.30 x .65 x .45	= 0.38 "
फ्रंट कैवटीगा	1 x 1.45 x 1.45 x .10	= 0.21 "
	1 x 0.90 x .90 x .10	= 0.08 "
	योग	2.06 घ०मी०

भुगतान किया :

2.16 घ०मी० दर 761 रु० प्रति घ०मी० = 1643.76 रु

जमा 150% ठेकेदार का प्रीमियम (+) = 2465.64 रु

योग 4109.40 रु

देय राशि : 2.06 घ०मी० दर 761/- रु० प्रति घ०मी० = 1567.66

जमा ठेकेदार का प्रीमियम 150% (+) = 2351.49

3919.15

भुगतान किया : 4109.40 रु
देय राशि : 3919.15 रु
अधिक भुगतान 190.25 रु या 190/- रु.

(4) मद संख्या 11:32 स्टोन पीचिंग/बोल्डर पीचिंग अनाकर्षक
दर 108.45 रू० प्रति घ०मी० 2
मद संख्या 31:10 सोलिंग स्टोन प्रोपर्ली हैंड पैक्ड दर
91.15 रू० प्रति घ०मी०
अंकेक्षण में पाया गया की फर्श की सोलिंग के लिए दर 108.45 रू० प्रति घ०मी० से किया गया जबकि दर 91.15 रु प्रति घ० मी० से अपेक्षित थी इस प्रकार कुल 63/- रुपया जो अधिक भुगतान किया गया उसको अनियमित ठहराया जाये रुपया कुल 63/- रू की सम्बन्धित अधिकारी कर्मचारी से वसूल कर के नगर पंचायत फंड में जमा करवायी जावे विवरण निम्न है।

भुगतान किया : 1.45 घ०मी० दर 108.45 रू प्रति घ०मी० = 157.25 रु
जमा ठेकेदार का प्रीमियम 150% (+) = 235.85
योग 393.10

देय राशि 1.45 घ० मी० दर 91.15 रू प्रति घ० मी० = 132.16 रु
जमा ठेकेदार का प्रीमियम 150% (+) = 198.24 रु
330.40

भुगतान किया 393.10
देय राशि 330.40
62.70 या 63.00 रू.

(5) अधिक भुगतान : माप पुस्तक 5196 पृष्ठ 69 पर प्रथम बिल का भुगतान कु० 23353.00 रू० का किया गया था परन्तु दूसरे व अन्तिम बिल से राशि काटते समय कु० 23062/- रू दर्शाए गये इस प्रकार कु० 291.00 रू० का ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया। जिसकी वसूली कर के नगरपंचायत फंड में जमा किया जावे और इस निदेशालय को तदानुसार सूचित किया जावे।

नोट: कुल राशि 35152 (-) 23353 प्रथम बिल = 11799 रु
वास्तविक भुगतान किया 35152 (-) 23062 रू " = 12090 रु
अधिक भुगतान कु० 291 रू

(6) आयकर की 756 रू की कटौती की गई थी परन्तु उसे सम्बन्धित विभागों में जमा नहीं करवाया गया।

(7) प्रतिभूति 10% से अपेक्षित थी परन्तु 5% की दर से काटी जिसे अनियमित ठहराया जावे।

(2) वाउचर नं० 38। माह 3/96 राशि 79163.00 रु० (1486..5)

कुल राशि 79163/- रु० का भुगतान श्री मोहन सिंह संविदाकार को तीसरा व अन्तिम बिल, निर्माण पार्क नजदीक हस्पताल अर्की का किया गया। इस में निम्न अनियमिततांए पाई गई।

(i) नगर पंचायत अर्की के टैन्डर आमंत्रित नहीं किये परन्तु तीन संविदाकारो की निविदाएं... रिकार्ड में थी जो कि श्री

श्री कलियाराम संविदाकार 180 % ऊपर मानक दर अनुसूची 1982

श्री हुदयाल सिंह " 175 % " यथोपरि —

श्री मोहन सिंह " 168 % " यथोपरि —

श्री मोहन सिंह संविदाकार से अधिशाषी अभियन्ता के आबंटित पत्र संख्या एन० ए० पी० / ए / टैंडर / 95-783 दिनांक 19.12.1995 द्वारा 152 % ऊपर मानक दर अनुसूची 1982 पर कार्य आबंटित किया गया। परन्तु 152 प्रतिशत ऊपर कार्य आबंटित करने की जस्टीफिकेशन नहीं की गई।

(ii) प्राक्कलन मु० 87,700/- रु० को सक्षम अधिकारी से टैक्नीकली स्वीकृत नहीं करवाया गया था।

(iii) एन० आई० टी० के अनुसार श्री मोहन सिंह संविदाकार से मु० 1000/- रु० की ~~डिपोजिट~~ मनी (धरोहर राशि) अपेक्षित थी परन्तु इसे प्राप्त न करने का औचित्य स्पष्ट किया जावे।

(iv) माप पुस्तक 4/96 पृष्ठ 24-25

मद नं० 5 : 15 एम.एम. प्लास्टर सीमेंट 1:6 में : संविदाकार द्वारा की गई कुल मात्रा 107.75 वर्गमी थी परन्तु योग गलत करने के कारण भुगतान 139.55 व० मी० का कर दिया इस प्रकार संविदाकार को 31.80 व० मी० की कुल मु० 925.60 रु० का अधिक भुगतान किया गया जोकि निम्न है। इस राशि मु० 925.60 रु० की वसूली करके नगर पंचायत फंड में जमा करवाया जाये और इस निरीक्षण को तदानुसार सूचित किया जाये।

भुगतान किया : 139.55 व०मी० दर 11.55 रु० प्रति व०मी० = 1611.80 रु०
जमा संविदाकार का प्रीमियम 152 % (+) = 2449.90 रु०
योग 4061.70 रु०

देय राशि : 107.75 व० मी० दर 11.55 रु० प्रति व०मी० = 1244.50 रु०
जमा संविदाकार का प्रीमियम 152 % (+) = 1891.60 रु०
3136.10

अधिक भुगतान = 4061-70 रु० (-) 3136-10 रु०
= 925-60 रु० या 926-00 रु०

-पृष्ठ- (56) 58

(56)

(11) वाउचर नं० 112 माह 7/95 राशि 38,543.00 रु०

मुबलिग 38,543 रु० का भुगतान श्री सुदर्शन सिंह संविदाकार को दूसरा चालित बिल निर्माण खण्ड हस्पताल अर्की का चैक नं० 239651 दिनांक 28.7.95 द्वारा किया गया इस में निम्न अनियमितताएं पाई गई

1) श्री सुदर्शन सिंह संविदाकार को 100 प्रतिशत उपर मानक दर अनुसूची 1987 पर कार्य आवंटित किया गया परन्तु 100 प्रतिशत उपर कार्य आवंटित करने को न्यायोचित नहीं ठहराया गया।

माप पुस्तक 1193 पृष्ठ 92

मद (10) 1 (a) चिनाई ईंट की सीमेंट 1:6 में

कुल मात्रा 39.25 घ० मी० का भुगतान करना था परन्तु संविदाकार को 39.92 घ० मी० का भुगतान किया गया इस प्रकार संविदाकार को 0.67 घ०मी० की दर 437.55 रु० प्रति घ०मी० से मुबलिग 586.30 रु० का अधिक भुगतान किया गया विवरण निम्न है अतः इसकी संविदाकार से वसूली की जाए अन्यथा सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से की जाये।

D : 2 X 1 X 1.90 X 0.35 = 1.33 घ० मी०

W : 6 X 1.40 X 1.20 X 0.35 = 3.52 "

D : 2 X 1.42 X .15 X .35 = 0.14 "

W : 6 X 1.60 X .15 X .35 = 0.50 "

Beams in wall

2 X 6 X 0.35 X 0.35 X 0.35 = 0.51 "

600 घ० मी०

कुल मात्रा थी 45.25 घ० मी० कमी दरवाजे इत्यादि 6 घ० मी० 45.25 (-) 6.00 = 39.25 घ०

परन्तु मात्रा 39.92 घ० दर्शाई गई और भुगतान भी इसी का किया गया

.67 घ०मी० दर 437.55 रु० की = 293.15 रु०

जमा 100% ठेकेदार का प्रीमियम (+) : 293.15 रु०

योग : 586.30 रु०

कुल अधिक भुगतान रु० 586.30 रु० इसकी वसूली की सूचना इस निदेशालय को दी जाये।

-68- (57) - 53 (51)

(5) वाउचर नं० 282 दिनांक 3/95 राशि 10,000 रू

मुबलिग 10,000 रू का भुगतान श्री कलिया राम संविदाकार को प्रथम चलत बिल, निर्माण यू सैप नाली भील मुहल्ला के भीत मोला का किया गया। इस अदायगी में निम्न अनियमितताएं पाई गई।

i) श्री कलिया राम संविदाकार के पत्र संख्या नं०पी० 26/95 दिनांक 19.1.95 द्वारा 100 प्रतिशत ऊपर मानक दर अनुसूची 1987 पर कार्य आवंटित किया गया परन्तु 100 प्रतिशत ऊपर कार्य आवंटित करने की जस्टीफिकेशन नहीं दर्शाई गई।

ii). माप पुस्तिका 1/93 पृष्ठ 64 से 66

मद नं० 7.5 : एक्सावेशन हैन्ड ड्रेन और चैनल क्याड़ै ठीक कर्के कुल मात्रा 40.75 घन मीटर थी परन्तु गलत गणना के कारण 0.46 घ०मी० का अधिक भुगतान किया गया ie 41.21 घ० मीटर इसी प्रकार मु० 10.35 रू का अधिक भुगतान किया गया विवरण निम्न है।

4.40 x 0.90 x .35 = 1.386 या 1.39 घ०मी० परन्तु इस को 1.85 घ०मी० दर्शाया गया।

दर 0.46 घ०मी० की दर 11.25 रू प्रति घ०मी० = 5.175 रू या 5.18

ठेकेदार प्री० जमा 100% (+) 5.18

10.35 रू

✓ इसी प्रकार मद नं० 11.7 (बी) एस० आर० मैसनरी इन सीमेंट मोरटर 1:6 में

कुल मात्रा 15.45 घ०मी० का भुगतान किया गया जब की ठीक मात्रा 14.91 घ०मी० थी इसी प्रकार मु० 450.40 रू का अधिक भुगतान संविदाकार को किया गया जिसकी वसूली की जाये विवरण निम्न है।

आर डी० 45 से 60

$= 15 \times \frac{.20 + .30 + .20}{3} \times \frac{.30 + .32}{2}$

$15 \times 0.23 \times .31 = 1.08$ घ०मीटर परन्तु इस का

भुगतान 1.62 घ०मी० निकाला गया था इस प्रकार .54 घ०मी० का अधिक भुगतान किया

.54 घ०मी० दर 417.05 प्रति घ०मी० = 225.20 रु०

जमा 100 प्रतिशत संविदाकार का प्रीमियम (+) = 225.20 रु०

योग 450.40 रु०

इस प्रकार कुल मु० 460.75 रु० (रु० 10.35 (+) 450.40 रु० का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली की जाये और इस निदेशालय को सूचित किया जाये।

iii. प्रतिभूति की कटौती 10 प्रतिशत की दर से अपेक्षित थी जब कि यह 5% की दर से की गई जिसको न्यायोचित ठहराया जाये

iv. संविदाकार से आय कर की कटौती नहीं की गई जिस का औचित्य स्पष्ट किया जाये।

v. संविदाकार से सेल्स टैक्स की कटौती भी अपेक्षित थी परन्तु इस की भी कटौती नहीं की गई।

vi. सीमेंट निर्माण हेतु नगर पंचायत द्वारा सप्लाई नहीं किया गया जिसे न्यायोचित ठहराया जाये।

मद म० 21.10 :- स्टोन सोलिंग प्रापरता ... ... 91.15 रु० प्रति घन मीटर थी। अत: संविदाकार को मद म० 11.33 की दर 108.45 रु० प्रति घन मीटर से फर्श में पत्थरों की सोलिंग की अदायगी को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इस प्रकार जो मु० 663.50 रु० की अधिक अदायगी संविदाकार को की गई उस की वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से कर के नगर पंचायत निधि में जमा करवायी जाये विवरण निम्न दिया जा रहा है। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें।

भुगतान किया = कुल मात्रा 19.18 घ०मी०

दर 108.45 रु० प्रति घ०मी० = 2080.00 रु०

जमा संविदाकार का 100% प्रीमियम (+) = 2080.00 रु०

योग 4160.00

देय मात्रा कुल मात्रा 19.18 घ०मी०
दर 91.15 रु० प्रति घ०मी० = 1748.25 रु
जमा संविदाकार का 100% प्रीमियम =(+) 1748.25 रु
3496.50 रु
अधिक भुगतान = 4160 (-) 3496.50 रु
= 663.50 रु या 664-00 रु.

iv) संविदाकार से प्रतिभूति की कटौती 10% से की जानी थी परन्तु प्रतिभूति 5% की दर से की गई थी जिस का औचित्य स्पष्ट किया जावे।

v) संविदाकार से आय कर की कटौती नहीं की गई जिस का औचित्य स्पष्ट किया जावे।

vi) नगर पंचायत द्वारा संविदाकार को सीमेंट और सरिया सप्लाई न करने का औचित्य भी स्पष्ट किया जावे।

2) वाउचर न० 34 मार्च 97 राशि 10528.00

पुस्तिका 10528 रु का भुगतान श्री [illegible] संविदाकार को दूसरा व अन्तिम बिल निर्माण पैवमेंट सड़क मुहल्ला [illegible] का किया गया इस में निम्न अनियमितताएं पाई गईं।

i) कार्य राशि को 128% ऊपर मूल्य दर अनुसूची पर कार्य आवंटित किया गया परन्तु इस की जस्टीफिकेशन नहीं दर्शाई गई।

ii) मद न० 31.44 सीमेंट कंक्रीट पैव मेंट सीमेंट 1:2:4 में 40 एम एम एग्रीगेट (माप पुस्तक 197 पृष्ठ 19) इस की दर 542.50 रु प्रति घन मीटर थी परन्तु संविदाकार के भुगतान दर 542.80 रु प्रति घन मीटर से किया। जिस कारण 11 रु का अधिक भुगतान किया गया जिस की वसूली की जावे विवरण निम्न है।

कुल मात्रा 15.93 घ०मी० दर 542.80 रु प्रति घ०मी० = 8646.80 रु
कुल मात्रा 15.93 घ०मी० दर 542.50 रु प्रति घ०मी० 8642.00
अधिक = 4.80
जमा 128% प्रीमियम (+) 6.14
10.94

iii) आय कर रु० 1237/- की कटौती की गई थी परन्तु रु 11/- रु उसको सम्बन्धित विभाग में जमा नहीं करवाया गया।

iv) माप पुस्तक में आदेश एवं वित्तीय अधिकारी के बिल पास करने के आदेश नहीं थे जिसका औचित्य स्पष्ट किया जावे

नोट- (6)—(57) (61)

(5) वाउचर सं० 30 माह 1/97 राशि 33056 रु०

मुबलिग 33056 रु० का भुगतान श्री सुदर्शन सिंह संविदाकार को प्रथम व अंतिम बिल निमार्ण सीमेंट कंक्रीट गस्ता मुहल्ला [illegible] का किया गया। इस में निम्न अनियमिततायें पाई गईं।

i) श्री सुदर्शन सिंह संविदाकार को 128 % उपर मानक दर अनुसूची 1987 पर कार्य आवंटित किया गया परन्तु इस की दर विश्लेषण नहीं दर्शाई गई।

ii) मद सं० 2445 : सीमेंट कंक्रीट पैवमेंट 1:2:4 में 40 एम एम एग्रीगेट में। इस मद की दर 542.50 रु० प्रति घ० मी० थी परन्तु संविदाकार को भुगतान 542.80 रु० प्रति घन मी० से किया गया। इस प्रकार संविदाकार को रु० 14 रु० का अधिक भुगतान किया जिसकी वसूली की जाये विवरण निम्न है।

भुगतान किया : कुल मात्रा 20.34 घ० मी० दर 542.80 रु० प्रति घ० मी० = 10986.25
देय राशि : कुल मात्रा 20.24 घ०मी० दर 542.50 रु० प्रति घ०मी० = 10980.20
अधिक 6.05
जमा 128% प्रीमियम (+) 7.74
= 13.79

iii) संविदाकार से प्रति भूति की कटौती 10 % से अपेक्षित थी परन्तु यह 5% से कटौती की गई जिस का औचित्य स्पष्ट किया जाये।

iv) संविदाकार से आयकर की कटौती रु० 6891 रु० की गई थी परन्तु इस राशि को सम्बन्धित विभाग में जमा नहीं करवाया गया।

v) संविदाकार से सेल टैक्स की कटौती नहीं की गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये।

vi) माप पुस्तक 342 पृष्ठ 18 पर आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा बिल को पारित नहीं किया गया। अतः माप पुस्तक पर बिल को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा पारित न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये और भविष्य में माप पुस्तिका में प्रत्येक बिल को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा पारित करवाया जाये।

उपरोक्त चूकों की अनुपालना आगामी निरीक्षण में दिखाई जाये।

18 प्रस्तुत

मोड़- 62

वोउचर नं० 81 दिनांक 31/7/94 राशि 7982.00 रु

(क) मस्ट्रोल नं० 3/7/94 अवधि 1.7.94 से 31.7.94

बावत मरम्मत सड़क मील पाथ

62

अकेक्षण में पाया गया कि नाना पंचायत वर्क्स मे ठेकेदार हिमाचल प्रदेश के निधन पर दिनांक 11.7.94 और 12.7.94 को दैनिक वेतन भोगी लेबर को सवैतनिक अवकाश दिया परन्तु प्रदेश सरकार के इस संबंध में जारी आदेश अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाये गये अतः यह सुनिश्चित किया जाये कि दैनिक वेतन भोगी लेबर को किस आधार पर सवैतनिक अवकाश दिया गया अन्यथा मु० 886/- रु० जिसका विवरण निम्न दिया जा रहा है जो अधिक भुगतान किया गया उसकी वसूली संबंधित मजदूरों अथवा दोषी कर्मचारी से कर के इसे निदेशालय को सूचित किया जावे।

नाम		दिनांक	दर	राशि
गोपाल चंद मिस्त्री		11.7.94 और 12.7.94	50 रु प्रतिदिन	100.00 रु
नीम चंद बेलदार		11.7.94 और 12.7.94	24 रु०	48.00
रत्ती राम	”	11.7.94 और 12.7.94	24 रु	48.00
रौशी राम	”	11.7.94 और 12.7.94	24 रु	48.00
नरेश कुमार	”	11.7.94 और 12.7.94	24 रु	48.00
नूरा राम	”	11.7.94 और 12.7.94	24 रु	48.00
रमेश चंद	”	11.7.94 और 12.7.94	24 रु	48.00
हरीश कुमार	”	11.7.94 और 12.7.94	24 रु	48.00
मस्त राम	”	11.7.94 और 12.7.94	24 रु	48.00
नानक चंद	”	11.7.94 और 12.7.94	24 रु	48.00
कमलेश कुमार	”	11.7.94 और 12.7.94	24 रु	48.00
हिला राम	”	11.7.94 और 12.7.94	24 रु	48.00
मनीलाल	”	11.7.94 और 12.7.94	24 रु	48.00
श्रीमति विद्यादेवी	”	11.7.94 और 12.7.94	35/- रु	70.00
श्रीमति रचना देवी जमा		11.7.94 और 12.7.94	35/- रु	70/-
श्री राजेन्द्र कुमार		11.7.94 और 12.7.94	35/- रु	70/-
			योग	886.00

श्री [illegible] कुमार दैनिक वेतन भोगी [illegible] संबंधित दोषी कर्मचारी से वसूल कर के ग्राम पंचायत निधि में जमा करवाया जावे और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जावे।

घ) वाऊचर नं० 252 मास 12/95 राशि 366.00 रु०

मस्ट्रौल अवधि 21-11-95 से 30-11-95

बाबत सुपरवाईजर

मुबलिग 366.00 रु० का भुगतान कु० लीला को 45.75 रु० प्रति दिन की दर से दैनिक वेतन भोगी, सुपरवाईजर का कार्य करने हेतु दिया गया इसमें निम्न अनियमितताएं पाई गई :

i) हिमाचल सरकार के निर्देशानुसार 1-5-95 के उपरान्त दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की नियुक्ति केवल सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति के बाद ही अपेक्षित है और नियुक्ति केवल रोजगार कार्यालय द्वारा ही आपेक्षित है। अतः इस प्रकार कु० लीला की दैनिक वेतन भोगी सुपरवाईजर की नियुक्ति को नाजायज ठहराया जाये और नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाये।

ii) अंकेक्षण में पाया गया कि मस्ट्रौल नं० 268/95 अवधि 1-11-95 से 30-11-95 में 9 दैनिक वेतन भोगी श्रमिक नियुक्त किये गये थे तो 9 श्रमिको के ऊपर एक सुपरवाईजर की नियुक्ति को नाजायज ठहराया जाये क्योंकि सुपरवाईजर द्वारा किया गया कार्य माप योग्य नही है। अतः सचिव नगर पन्चायत, केवल 9 श्रमिकों की नियुक्ति पर एक सुपरवाईजर की नियुक्ति का औचित्य स्पष्ट करे जब कि नगर पन्चायत में एक कनिष्ठ अभियन्ता भी कार्यरत था। कु० लीला दिनांक 31-3-97 तक भी दैनिक वेतन भोगी दरो पर कार्यरत थी।

यात्रा भत्ता दावे :

नगर पंचायत अर्की के यात्रा भत्ता बिलों की पड़ताल करते समय पाया गया कि निम्न कर्मचारियों को यात्रा भत्ता दावे के अधिक भुगतान किये गये अतः इन अधिक भुगतानों की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से कर के नगर पंचायत निधि में जमा करवाया जाये और इस की सूचना इस निदेशालय को दी जाये।

वाउचर नं०	मास	राशि रु०	अधिक भुगतान रु०	विवरण
306	3/95	११९.०	5.00	श्री जगदीश चंद ने दिनांक 12.3.95 को अर्की से [illegible] और वापिसी की यात्रा की। श्री जगदीश चंद का मूल वेतन 1340 रु० था और दैनिक भत्ता 25/- रु० देय था परन्तु भुगतान 30/- रु० किया गया।
116	7/95	145.00	5.00	श्री जगदीश चंद ने दिनांक 7.7.95 को अर्की से कंडाघाट और वापिसी की यात्रा की। मूल वेतन 1340 रु० था और दैनिक भत्ता दर 25/- रु० देय थी परन्तु भुगतान 30/- रु० किया गया।
			5.00	—यथोपरि, दिनांक 11.7.95 को यात्रा अर्की से सोलन और वापिसी दैनिक भत्ता देय 25/- रु० भुगतान 30/-रु०
			5.00	—यथोपरि- दिनांक 17.7.95 को यात्रा अर्की से सोलन और वापिसी।
334	11/95	335/-	5.00	—यथोपरि - यात्रा अर्की से सोलन और वापिसी दिनांक 30.10.95
			5.00	—यथोपरि- यात्रा अर्की से शिमला और वापिसी दि० 18.11.95
			3.50	—यथोपरि - यात्रा अर्की से शिमला और वापिसी दि० 3.11.95 70% देय 17.50 रु० भुगतान 21/- रु०
			3.50	—यथोपरि - यात्रा अर्की से शिमला वापिसी दि० 9.11.95 को
305	2/96	72.0	3.50	—यथोपरि यात्रा अर्की से सोलन वापिसी दि० 17.12.95
			12.50	—यात्रा अर्की से सोलन और वापिसी दिनांक 26.12.95 को 8 AM से 8.20 P.M. तक देय राशि 25 रु० का 70% 17.50, भुगतान 30.00, 12.50
61	9/94	47.00	5.00	—यथोपरि — दिनांक 22.7.94 को यात्रा अर्की से सोलन और वापिसी देय 25/- भुगतान 30/- रु०
		योग	59.00	

Contd.

-77- (66) -62-

कि०रो० 58.00

392	3/96	72.00	5.00	श्री अमरीश चंद ने दिनांक 27.3.96 को यात्रा अर्की से सोलन और वापिसी मूल वेतन 1330/- रु० दैनिक भत्ता देय 25/- रु भुगतान 30/- रु.
339	3/97	78.00	5.00	— यथोपरि — यात्रा दिनांक 20.3.97 अर्की से सोलन और वापिसी
260	1/96	194.00	5.00	श्री [illegible] द्वारा दिनांक 6.11.95 को यात्रा अर्की से चंडीगढ़ और वापिसी मूल वेतन 1020/- रु० दैनिक भत्ता देय 20/- रु भुगतान 25/- रु
260	1/96	[illegible]	5.00	— यथोपरि — यात्रा दिनांक 14.11.95 को अर्की से चंडीगढ़ और वापिसी —
261	1/96	365.00	5.00	— यथोपरि — यात्रा दिनांक 29.11.95 को अर्की से सोलन और वापिसी
			5.00	— यथोपरि - यात्रा दिनांक 4.12.95 को अर्की से सोलन और वापिसी
			5.00	— यथोपरि — यात्रा दिनांक 6.12.95
			5.00	— यथोपरि — यात्रा दिनांक 13.12.95
391	3/96	178.00	2.00	— यथोपरि — यात्रा दि० 30.3.96 देय 14 रु० भुगतान 16.00 रु
131	10/96	216.0	5.00	— यथोपरि — यात्रा दिनांक 16.5.96
			5.00	— यथोपरि — यात्रा दिनांक 26.6.96 अर्की से चंडीगढ़ और वापिसी

कुल योग 110.00 रु०

84

क) वाउचर क्र० 15 माह 7/96 राशि 3773.00 रु

श्री जगदीश चंद तंवर को माह 4/96 का मु० 3773.00 का वेतन का भुगतान किया गया जबकि वेतन मु० 3767.00 रु० देय था इसी प्रकार मु० 6/- रु० का अधिक भुगतान किया गया विवरण निम्न प्रकार से है।

केन्द्रीय प्रदेश सरकार ने अंतरिम राहत की पहली किश्त 1/4/95 से मूल वेतन का 10 प्रतिशत जारी की थी। श्री जगदीश चंद तंवर का मूल वेतन 1320/- रु था तो अंतरिम राहत मु० 132/- रु० देय था जबकि अन्तरिम राहत मु० 138 का का भुगतान किया गया इसी प्रकार मु० 6.00 रु का अधिक भुगतान किया गया ~~इसी प्रकार जो अधिक भुगतान किया गया~~ इसकी वसूली श्री तंवर से कर के नगर पंचायत निधि में जमा करवाया जावे।

श्री तंवर को 4/96 से लेकर 3/97 तक अन्तरिम राहत की मु० 72/- अधिक भुगतान किया गया विवरण निम्न है इस राशि की वसूली श्री तंवर से कर के इस निदेशालय को तदानुसार सूचित किया जावे।

वाउचर क्र०	माह	राशि	मूल वेतन	अन्तरिम राहत देय	अन्तरिम राहत का भुगतान	अधिक भुगतान
		रु		रु०	रु०	रु
15	7/96	3773	1320/-	132.0	138	6.0
38	6/96	3773	1320/-	132	138	6.00
58	7/96	3773	1320	132	138	6.0
89	8/96	3832	1320	132	138	6.00
114	9/96	3832	1320	132	138	6.00
126	10/96	3832	1320	132	138	6.0
159	11/96	3832	1320	132	138	6.0
187	12/96	3832	1320	132	138	6.0
216	1/97	3832	1320	132	138	6.0
246	2/97	3832	1320	132	138	6.0
280	3/97	3832	1320	132	138	6.0
344	4/97	3832	1320	132	138	6.0
					योग	72.00

(5) वाउचर नं० 16 माह 7/96 राशि 7835.00 रू०

श्री जीत राम सर्वोदय कर्मचारी को माह 5/96 का वेतन रु० 2388/- रू० दिया गया। श्री जीत राम का मूल वेतन रु० 830/- रू० था और मँहगाई भत्ता की किश्त 136 प्रतिशत से मँहगाई भत्ता रु० 1129.00 रू० देय था परन्तु भुगतान 1170/- रू० का किया गया इस प्रकार रु० 41.00 रू० का अधिक भुगतान किया गया इसी प्रकार श्रीमती पूनम देवी सर्वोदय कर्मचारी का भी 5/96 में मूल वेतन 860/- रू० था और मँहगाई भत्ता 136 % की दर से रु० 1170/- रू० देय था जबकि भुगतान 1210/- रू० का किया गया इसी प्रकार रु० 40/- रू० का अधिक भुगतान किया तथा अधिक भुगतान की वसूली आगामी मँहगाई भत्ते की किश्तों से नहीं की गई थी। अतः निम्न जो मँहगाई भत्ते का रु० 243/- रू० अधिक भुगतान किया गया उस की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से कर के नगर पंचायत निधि में जमा करवाया जावे और तदानुसार इस निदेशालय को सूचित किया जावे।

वाउचर नं०	दिनांक	राशि	मूल वेतन/नाम	मँहगाई भत्ता देय 136%	भुगतान किया	अधिक भुगतान
				रू०		रू०
16	7/96	2388/-	श्री जीत राम रू० 830/- रू०	1129	1170.00	41.00
16	7/96	2461	श्रीमती पूनम रू० 860/-	1170	1210	40
29	6/96	2388	श्री जीत राम मू०वे० 830	1129	1170	41.00
29	6/96	2461	श्रीमती पूनम मू०वे० 860	1170	1210	40.00
38	7/96	2388	श्री जीत राम मू०वे० 830	1129	1170	41.00
38	7/96	2461	श्रीमती पूनम मू०वे० 860	1170	1210	40.00
					कुल योग	243.00

1) ट्रैक्टर की लाग बुक नं० HP11-0888

क) नगर पंचायत अर्की ने मास 8/95 में ट्रैक्टर '...' का क्रय किया परन्तु अंकेक्षण में ट्रैक्टर की लाग बुक अवधि 8/95 से 15/3/96 तक आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिसे अगले अंकेक्षण में दिखायाजावे।

ख) ट्रैक्टर की लाग बुक अवधि 16/3/96 से 31/3/97 की पड़ताल करते समय पाया गया कि लाग बुक को हिमाचल प्रदेश सरकारी वाहन के नियम 3 बी के अनुसार फार्म जी० बी० - 11 के अनुसार भरा नहीं गया था, लाग बुक में ट्रैक्टर प्रयोग करने वाले के हस्ताक्षर और यदि ट्रैक्टर प्राईवेट कार्य हेतु दिया गया तो इन्चार्ज वाहन के हस्ताक्षर अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि अवधि 16/3/96 से 31/3/97 तक जब भी ट्रैक्टर का प्रयोग प्राईवेट कार्य हेतु किया गया तो उस पर वाहन इन्चार्ज के हस्ताक्षर और प्राईवेट कार्य करने हेतु किराया व उसकी प्राप्ति जिस रसीद से वसूल किया गया है का विवरण नहीं था, जिसके कुछ उदाहरण इस अंकेक्षण के प्रतिवेदन के परिशिष्ट-'ह' पर संलग्न है।

इसबारे में सचिव, नगर पंचायत अर्की को अंकेक्षण अधियाचना सं० मु० स्था० बी० - आडिट - 385 दिनांक 14-11-2000 द्वारा अनुरोध किया गया परन्तु सचिव नगर पंचायत अर्की ने अंकेक्षण समाप्त होने तक कोई उत्तर नहीं दिया। अतः सचिव नगर पंचायत अर्की अब यह सुनिश्चित करें कि नगर पंचायत के ट्रैक्टर द्वारा जो प्राईवेट कार्य किया गया उस कार्य को करने का किराया नगरपंचायत ने किस दर से प्राप्त करके नगर पंचायत निधि में जमा करवाया गया, इसका पूर्ण विवरण दिया जाये और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें।

ग) ट्रैक्टर की मासिक आऊट टर्न

अंकेक्षण में पाया गया कि ट्रैक्टर की लाग बुक में मासिक आऊट टर्न नहीं बनाई गई है। जिसके कारण

~~श्री~~ (२०) - 56, (70)

डीजल की खपत की जाँच व ट्रैक्टर द्वारा नगरपंचायत का किया गया कार्य का ब्योरा भी इस निरीक्षण। मुरम्मत कार्य को चार्ज किया गया या नहीं की भी जाँच नहीं की जा सकी। अतः ट्रैक्टर की मासिक आकड़े निम्नानुसार प्रतिमास तैयार की जावे और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें।

(घ) वाऊचर सं० 340 दिनांक 3/97 राशि 1238/-रु०

मु० 1238/-रु० का भुगतान मै० कमल दीप ट्रेडर्स डलहौज़ी को बिल नं० शून्य दिनांक शून्य द्वारा ट्रैक्टर की मुरम्मत हेतु किया गया परन्तु ट्रैक्टर की रखरखाव का रजिस्टर हिमाचल प्रदेश वाहन नियम 3A के अन्तर्गत फार्म जी० बी० - IV में नहीं बनाया गया जिसे अब बनाया जावे, जिसकी अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें।

12. भवन निर्माण प्रार्थना शुल्क रजिस्टर का रखरखाव

हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एकाउंट कोड 1975 के नियम 28 के अंतर्गत नगर पंचायत फार्म जी-35 पर भवन निर्माण प्रार्थना पत्र व शुल्क की वसूली हेतू रजिस्टर बनायेगी, जिस पर भवन का नक्शा प्राप्त होने की तिथि व नगर पंचायत द्वारा नक्शा पारित करने की तिथि और जो भवन निर्माण शुल्क वसूल होगा, उसकी भी प्रविष्टि इस रजिस्टर में आपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि इस रजिस्टर का रखरखाव ठीक नही किया गया था, साधारणतया इसमें भवन का नक्शा प्राप्त होने की तिथि व नगरपंचायत द्वारा नक्शा पारित करने की तिथि और नक्शा पारित करने हेतू जो नगरपंचायत द्वारा शुल्क वसूल किया गया उसकी प्रविष्टि भी रजिस्टर पर नहीं थी। इस बारे में सचिव, नगर पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना सं० यू० एल० बी०-आडिट-384 दिनांक 14-11-2000 को अनुरोध किया गया कि वह सूचित करे कि अवधि 4/94 से 3/97 में लोगों से भवन का नक्शा पारित करने हेतू जो शुल्क वसूल किया गया, वह किस दर से प्राप्त करके जमा करवाया, परन्तु सचिव, नगर पंचायत ने अंकेक्षण के समाप्त होने तक इसका कोई उत्तर नही दिया।

अत: इसके कुछ उदाहरण इस अंकेक्षण के परिशिष्ट-'ड' पर है। अत: इन लोगों से भवन का नक्शा पारित करने हेतू जो शुल्क वसूल किया गया उसका पूर्ण विवरण, शुल्क वसूली व जमा करने का विवरण आगामी अंकेक्षण मे प्रस्तुत करें।

13. डाक टिकट रजिस्टर

डाक टिकट रजिस्टर की पड़ताल करते समय निम्न कमियाँ पाई गईं।

(i) दिनांक 31.5.95 को डाक टिकट का कुल व्यय 10/- रु० था परन्तु डाक रजिस्टर से मुताबिक 15.00 का व्यय किये इस प्रकार रु० 5.00 रु० अधिक व्यय किये अतः रु० 5.00 रु० की सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से वसूली की जावे।

(ii) दिनांक 8.8.95 को कुल व्यय 8 रु० था परन्तु डाक टिकट रजिस्टर में 10/- रु० कम कर दिये इस प्रकार 2/- रु० अधिक कम किये जिसकी भरपाई की जावे।

(iii) दिनांक 13.2.95 को डाक टिकट का कुल व्यय 5.00 रु० था परन्तु डाक टिकट रजिस्टर से रु० 6.00 रु० कम किये इस प्रकार एक रु० अधिक कम किया जिसकी भरपाई की जावे।

(iv) दिनांक 2.6.95 को कुल व्यय 8 रु० था परन्तु डाक टिकट रजिस्टर से रु० 9.00 रु० कम किये इस प्रकार एक रु० अधिक कम किया जिसकी भरपाई की जावे।

(v) दिनांक 2.8.95 को कुल व्यय 65.00 रु० था परन्तु डाक टिकट रजिस्टर से रु० 78.00 रु० कम किये इस प्रकार रु० 13 रु० अधिक कम किये अतः रु० 13.00 रु० की दोषी कर्मचारी से वसूली की जावे।

(vi) दिनांक 2.5.96 को कुल व्यय 5 रु० था परन्तु डाक टिकट रजिस्टर से रु० 6.00 रु० कम किये इस प्रकार रु० एक रुपया अधिक कम किया जिसकी भरपाई की जावे।

(vii) दिनांक 6.12.96 को कुल व्यय 69.00 रु० था परन्तु डाक टिकट रजिस्टर से रु० 71.00 रु० कम किये इस प्रकार 2/- रु० अधिक कम किये इसकी भरपाई की जावे।

नोट: उपरोक्त पैरा i से vii तक रु० 34.00 की डाक टिकट की गलत गणना के कारण अधिक व्यय किया दर्शाया गया अतः कुल राशि सम्बन्धित कर्मचारी से लेकर के नगर पंचायत निधि में जमा करवायी जावे और इसकी अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जावे।

स्टाक रजिस्टर ।

(1) वाउचर नं० 299 दिनांक 3/95 राशि 208.2

रु० 208.2 रूपये का भुगतान मै० भारत जनरल मर्चेन्ट्स हर्दी को बिल नं० 6065 दिनांक 6.3.95 द्वारा बावत सप्लाई करने पीतल नलके, गिलास और कटोरे का किया गया। अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत ने 3 अदद पीतल के नलके दर 45/- रू० प्रति नलके की दर से क्रय किये गये थे। परन्तु स्टाक रजिस्टर पृष्ठ 63 पर केवल एक ही नलके का इन्द्राज किया गया इस प्रकार दो नलकों का इन्द्राज नहीं पाया गया अतः दो नलकों का रूपये 90/- रू० दर 45/- रू० प्रति नलका की दर से सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से वसूल करके ग्राम पंचायत निधि में जमा करवाया जावे और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत किया जाए।

(2) वाउचर नं० 365 माह 3/95 राशि 100.00

मुबलिग 100/- रू० का भुगतान मै० कोठारी जनरल मर्चेन्ट्स हर्दी को बिल नं० 41 दिनांक 24-1-95 द्वारा बावत स्टील प्लेट 'एक कि०ग्रा०' का किया गया परन्तु भंडारण रजिस्टर में इसकी प्रविष्टि नहीं दर्शाई गई अर्थात इसका विवरण देखा गया अतः इस की प्रविष्टि दर्शाई जाये अन्यथा रु० 100 की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके ग्राम पंचायत निधि में जमा करवाई जाये और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

(3) वाउचर नं० 35 माह 9/96 राशि 180/-

रु० 180/- रू० का भुगतान मै० मदनलाल ठाकुर हार्डवेयर हर्दी के बिल नं० 1830 दिनांक 11.4.96 द्वारा बावत 3 फ० चौखट और 1 जाली दरवाजा का किया गया परन्तु इस की प्रविष्टि टी० एण्ड पी० रजिस्टर में नहीं दर्शायी गयी अतः आवश्यक कार्यवाही अब की जाये और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

(अ) वाउचर नं० 332 मास 8/97 राशि 438.00

मु० 438.00 रु० का भुगतान मै० महाजन इलेक्ट्रिक हाउस अर्की के बिल न0. 2278 दिनांक 3.3.97 को विभिन्न सामान आकस्मिक किया गया

पंखा एक 60.00 ली
फरवे दो 110 ली
नलका पीतल 120.00 ली
3 दरवाजा...

परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि खरीदे गए सामान को स्टाक अभिलेख रजिस्टर की पृष्ठ 38 पर दर्ज किया गया और जारी करने के उपरान्त स्टाक शून्य दर्शाया गया जब कि स्थाई वस्तु का इन्द्राज स्थाई स्टाक रजिस्टर में अपेक्षित है और इस को स्टाक से उस समय ही खारिज किया जायेगा जब उस की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी अतः स्टाक रजिस्टर नियमानुसार बनाये जाये और आगामी अंकेक्षण में अनुपालना दिखाई जाये।

(ड) वाउचर नं० 348 मास 3/97 राशि 7594.00

वाउचर नं० 17 मास 7/96 राशि 6022.00

उपरोक्त निकासी बाबत अस्थायी दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारी, चपडासी और ड्राईवर हेतु की गई थी परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत ने इन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का मस्ट्रोल जारी नहीं किया जबकि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का मस्ट्रोल जारी करना अपेक्षित है। इस को जारी न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये और भविष्य में इस ओर ध्यान दिया जाये।

(ज) वाऊचर संख्या 363 मास 3/96 राशि 168/- रु०

अदायगी मैं० महाजन ग्लास वाकर्स, अर्की बिल सं० 1538, दिनांक 15-03-96 द्वारा सीवरेज सामान क्रय करने के लिये की गई थी परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि इस बिल द्वारा 2 सौकट ½" की क्रय की गई थी परन्तु भण्डारण रजिस्टर पृष्ठ सं० 77/80 पर केवल एक सौकट की प्रविष्टि पाई गई इस प्रकार दो सौकट की प्रविष्टि नहीं पाई गई। अतः मु० 8/- रु० मूल्य के सौकट की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जाये व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें।

इसी प्रकार 2 यूनियन दर 12.75 रु० प्रति यूनियन की दर से क्रय की गई थी परन्तु भण्डारण रजिस्टर पृष्ठ संख्या 77/78 पर केवल एक यूनियन की ही प्रविष्टि की गई इस प्रकार एक यूनियन का मूल्य 12.75 रु० की सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा भरपाई की जावे।

(झ) वाऊचर संख्या 406 मास 3/96 राशि 256/- रु०

मबलिग 256/- रु० का भुगतान मैं० महाजन ग्लास वाकर्स अर्की को बिल सं० 1575 दिनांक 21-03-96 बाबत सीवरेज सामान का क्रय किया गया, परन्तु निम्न सामान की प्रविष्टियां भण्डारण रजिस्टर में नहीं दर्शाई गई। अतः इस सामान की भण्डारण रजिस्टर में प्रविष्टि व निपटारा दर्शाया जावे अन्यथा इस सामान के मूल्य की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके नगरपंचायत निधि में जमा करवाया जावे और तदानुसार इस निदेशालय को सूचित करें।

नाम वस्तु	दर	राशि
5 सौकट	18/- रु० प्रति	90-00
1 निप्पल ½"	6/- रु० " "	6-00
5 डबल क्लेम्प	3.50 रु० " "	17-50
1 निप्पल 6"	9/- रु० " "	9.00

(ञ) वाऊचर संख्या 376 मास 3/96 राशि 300/- रु०

मबलिग 300/- रु० का भुगतान श्री प्रेम लाल वर्मा, पेन्टर अर्की को बाबत लिखने बैनर व कीमत कपड़ा 3 मीटर का किया गया परन्तु इस बैनर की स्टाक रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं दर्शाई गई और इस बैनर पर क्या लिखवाया गया इसका भी कोई वर्णन नहीं था, और किस दर से भुगतान किया गया, का भी कोई वर्णन नहीं था जिस कारण से इस बिल की पूर्ण जांच नहीं की जा सकी। अतः [illegible] अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जावे।

5 × 6.80 = 34 मी० 16 एम० एम०
2 × 5 = 10 मी०
44 मी० × 1.58 = 69.52 कि० ग्रा०
या 70 कि० ग्रा०

विकास में जन सहयोग कार्यक्रम

उपायुक्त सोलन के पत्र संख्या पी० एल० जी - VIII - 13/96 दिनांक 15-7-96 "विकास में जन सहयोग" कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1996-97 के लिये प्राप्त धन राशि जिसका विवरण निम्न है की स्वीकृति प्रदान की गई :-

निर्माण शैड शमशान घाट रू० 75905-00
और निर्माण स्टोर लकडी रखने हेतु रू० 18810-00
जोड़ रू० 94715-00

अंकेक्षण में पाया गया कि माप पुस्तिका 5/97 पृष्ठ सं० 45 पर चौथा व अन्तिम बिल का भुगतान श्री सुदर्शन सिंह ठेकेदार को बाबत निर्माण शैड और स्टोर हेतु मु० 102,615-00 का किया गया।
इस निर्माण कार्य हेतु उपायुक्त सोलन से मु० 94715/- रू० प्राप्त हुये थे परन्तु कुल व्यय 102,615/- रू० किया गया। इस प्रकार मु० 7900/- रू० का व्यय नगर पंचायत फण्ड से किया गया जो नगर पन्चायत निधि से उचित व्यय नहीं है, "विकास में जन सहयोग" कार्यक्रम के अंतर्गत अंशदान लोगो द्वारा ही वहन किया जायेगा, अतः इस राशि मु० 7900/- रू० की सम्बन्धित लोगों से वसूली कर के नगर पंचायत निधि में जमा करवाया जाये अन्यथा इस को सम्बन्धित सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर के नियमित करवाया जाये और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

26) विविध — 64 —

i) वाउचर नं. 314 से 319 माह 10/95 राशि 6746.00 रु.

मुबलिग 6746.00 रु. की निकासी बाबत बिजली के बिलों हेतु की गई जिसका विवरण निम्न दिया जा रहा है। अंकेक्षण में पाया गया मुबलिग 174.00 रु. का अधिक भुगतान हुआ। क्योंकि बिजली के बिलों को देय तिथि के बाद बिल जमा करवाये, इस प्रकार मु0 174.00 रु. नगरपालिका निधि से अनावश्यक व्यय किया गया जो कि अंकेक्षण में मान्य नहीं है। अतः मु0 174.00 रु. की वसूली दोषी कर्मचारी से कर के नगर पंचायत निधि में जमा करवायी जावे और इस निदेशालय को सूचित किया जावे।

बिल का खाता	राशि	देय तिथि	देय तिथि के बाद राशि / तिथि	अधिक भुगतान
	रु.			रु.
A-119	4303	25.10.95	4348.00 / 3-11.95	45.00
A-1151	972.00	25.10.95	988.00 / 3-11.95	16.00
A-1593	823	31-10-95	894.00 / 3-11-95	71.00
A-1592	298.00	31-10.95	324.00 / 3-11-95	26.00
A-1562	48.00	31-10.95	52 / 3-11.95	4.00
A-1664	128	31-10.95	140 / 3-11.95	12.00
			योग	174.00 रु.

(ii) वाउचर नं. 86 माह 7/96 राशि 1443.00

मुबलिग 1443.00 रु. की निकासी बाबत बिल टेलीफोन नं. एसटीडी 03401 अवधि 31.3.96 से 15.5.96 का किया गया परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि बिल को जमा करने की तिथि 24.6.96 थी परन्तु बिल दिनांक 27.6.96 को जमा करवाया गया। इस प्रकार मु0 40/- रु. का अधिभार दिया गया जब कि देय तिथि को बिल 1403/- रु. का था। इस प्रकार मु0 40/- रु. अनावश्यक व्यय किया गया जो कि सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से वसूल कर के नगर पंचायत निधि में जमा करवाया जावे और इस निदेशालय को सूचित किया जावे।

अंकेक्षण में पाया गया कि प्रधान नगर पंचायत का टेलीफोन नं. 2403 था जब कि बिल नं. 3401 का दिया गया अतः यह सुनिश्चित किया जावे की भुगतान नगर पंचायत निधि से वैध रूप से था।

(iii) वाउचर न० 974 मास 3/97 राशि 7930/-

मुबलिग 7930/- रु० का भुगतान मै० इन्डस्ट्रीयल ट्रेडर्स इन-डस्ट्रीयल एरिया चंडीगढ़ को बाबत सप्लाई करने 5 रेहड़ियां दर 1800/- रु० प्रति रेहड़ी की दर से किया गया। इस भुगतान में निम्न अनियमिततायें पाई गई।

i) तीन फर्मों की निविदाएं औपचारिकता हेतु जो प्राप्त की गई सभी एक ही व्यक्ति द्वारा हस्तगत इकट्ठी की गई थी :-

i) मै० इन्डस्ट्रीयल ट्रेडर्स इंडस्ट्री चंडीगढ़ दिनांक 10-12-96 राशि 1800/- रु० प्रति रेहड़ी

ii) मै० इंडस्ट्रीयल क्रिएशन प्राइवेट लि० चंडीगढ़ दिनांक 10-12-96 दर 1900/- रु० प्रति रेहड़ी

iii) मै० दी परफैक्शन मशीनरी प्रा० लि० चंडीगढ़ दिनांक 10-12-96 दर 1975/- रु० प्रति रेहड़ी

अत: निविदाओं को नियमों के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से एकत्रित करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये। इस के अतिरिक्त निविदाओं में रेहड़ियों की (वील बैरो) साइज इत्यादि का वर्णन नहीं था।

ii) कुल राशि का भुगतान सेल्फ चैक न० 319016 दिनांक 13-2-97 राशि 29757 खंड विकास अधिकारी द्वारा से किया इस प्रकार मु० 7930/- रु० का भुगतान मै० इन्डस्ट्रीयल ट्रेडर्स चंडीगढ़ को नगद ही किया गया जो कि नियमों के विरुद्ध है परन्तु अंकेक्षण में पाया गया की फर्म से नगद पर्ची (कैश मीमो) भी प्राप्त नहीं की गई और न ही वास्तविक प्राप्त कर्ता की रसीद भी अंकेक्षण में उपलब्ध की गई। अत: उपरोक्त चुकों की अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

और

IV) वाउचर नं० 370 दिनांक 3/96 राशि 4166.00

मुबलिग 4166.00 रु० का भुगतान मै० राजू इलैक्ट्रिकल्स वर्कर्स को बिल नं० 157 दिनांक 2.3.96 बावत सप्लाई पैट्रोल आयल 185.80 कि० ग्रा० दर 20/- रु० प्रति कि० ग्रा० औसत का किया गया इसमें निम्न अनियमिततायें पाई गई।

i) इसकी निविदायें अभिलेखों में उपलब्ध नहीं कराई गई

ii) पैट्रोल आयल 185.80 कि०ग्रा० का जो भुगतान किया गया उसकी माप पुस्तिका में रिकार्ड एन्ट्री नहीं दर्शाई गई जिस कारण से भुगतान की जांच नहीं की जा सकी अत: आवश्यक कार्यवाही की जाये

iii) एम० ए० एस० रजिस्टर में भी इसका इन्द्राज नहीं किया गया। अत: आवश्यक कार्यवाही करके अगले अभिलेखों में दिखाया जाये।

V) वाउचर नं० 397 मार्च 3/96 राशि 2336.00

मुबलिग 2336 रु० का भुगतान मै० राजू इलैक्ट्रिकल्स वर्कर्स को बिल नं० 183 दि० 23.3.96 बावत दो दरवाजे बनाने हेतु किया गया। इसमें निम्न अनियमिततायें पाई गई।

i) इसके बनवाने के लिये जो निविदायें आमंत्रित की गई उन को अभिलेखों में उपलब्ध नहीं करवाया गया।

ii) इस बिल का भुगतान माप पुस्तिका में रिकार्ड एन्ट्री करने के बगैर ही कर दिया गया जिसको न्यायोचित ठहराया जाये। और बिल में दरवाजों का साईज वर्णित नहीं था एक दरवाजे में प्लेन शीट का वजन 6 कि० ग्रा० दर्शाया गया जबकि दूसरे दरवाजे में प्लेन चादर (शीट) का वजन 18 कि० ग्रा० दर्शाया गया और भुगतान 40/- रु० प्रति कि० ग्रा० से कुल 720/- रु० दर्शाया गया जिसे न्यायोचित ठहराया जाये। और यह भी सुनिश्चित किया जाये यह दरवाजे कहाँ प्रयोग किये गये उपरोक्त चर्चों की अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

(vi) वाउचर सं० 33 माह 5/95 राशि 25000.00 रु

कुल राशि 25,000/- रू० का भुगतान मै० बी० टी० इंजीनियरिंग वर्कस मोरिंडा को वाहन सप्लाई करने बाबत ट्रैक्टर - ट्राली का ड्राफ्ट नं० 259286 दि० 22.5.95 द्वारा किया गया इस में निम्न अनियमिततायें पाई गई

1) निविदाएं विधिवत् आमन्त्रित नहीं की गई परन्तु अनेक विपरीत व्यक्तिगत रूप से श्री जगदीश चंद और श्री महेन्द्र [illegible] वेतन भोगी कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा एकत्रित की गई थी जिन फर्मों से हस्ताक्षरित निविदाएं प्राप्त की गई थी उनका विवरण निम्न है।

i) मै० बी० टी० इंजी० निवस वर्कस मोरिंडा दि० 18.5.95 रू० 25,000 रु
ii) मै० ए० एस० मैकेनिकल वर्कस मोरिंडा दि० 18.5.95 रू० 25,700 रु
iii) मै० भारत इंजी० वर्कस मोरिंडा दि० 18.5.95 रू० 26,000 रु
iv) मै० कलगर एन्टरप्राईजिज मोरिंडा दि० 18.5.95 रू० 27,900 रु

निविदाओं को व्यक्तिगत रूप से एकत्रित करने का औचित्य स्पष्ट किया जावे और निविदाएं सक्षम अधिकारी द्वारा (सचिव नगर पंचायत) प्रतिहस्ताक्षरित नहीं करवाई गई। अनुपालना करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जावे।

(ii) श्री जगदीश चंद तलवार ने पत्र सं० एन०पी० ओ०/95 - सप्लाई दिनांक 18.5.95 द्वारा मै० बी० टी० इंजी० वर्कस मोरिंडा को ट्रैक्टर -ट्राली सप्लाई करने हेतु आदेश जारी किये गए। यह सुनिश्चित किया जाये कि सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना ही दिनांक 18.5.95 को (जिस दिन निविदाएं व्यक्तिगत रूप से एकत्रित की गई) किस आधार पर सप्लाई आदेश जारी किये और निविदाएं व्यक्तिगत रूप से एकत्रित करने का औचित्य भी स्पष्ट किया जावे।

(iii) ट्रैक्टर ट्राली को प्रविष्टि अचल सम्पत्ति रजिस्टर में नहीं दर्शाई गई अतः आवश्यक कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण में दिखाया जावे।

[illegible]

करें कि यह [illegible] किन निर्देशों के अनुसार [illegible] की गई और यह राशि [illegible] कार्य (मुरम्मत) हेतु प्रयोग की गई जिस कार्य हेतु जारी की गई थी। इसके उपयोगिता प्रमाण पत्र की अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये जिन्हें अगले अंकेक्षण में दिखाया जावे

(vii) वाउचर नं० 80 मास 7/96 राशि 3000/-

मुबलिग 3000/- रु० का भुगतान मै० गरुड़ इन्टीरियर वर्कस अर्की को बाबत ग्रील 150 व० फुट दर 20/- रु० प्रति व० फुट की दर से किया गया परन्तु माप पुस्तिका 96 पृष्ठ 27 पर ग्रील की साईज की प्रविष्टि दर्ज नहीं की गई थी जिस कारण से भुगतान की पुष्टि जांच नहीं की जा सकी अतः आवश्यक कार्यवाही कर के आगामी अंकेक्षण में अनुपालना दिखाई जावे।

(viii) वाउचर नं० 81 मास 7/96 राशि 2995

मुबलिग 2995/- रु० का भुगतान पंजाब इन्डियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर लि० चंडीगढ़ को चैक नं० 193875 दिनांक 16.7.96 द्वारा किया गया। परन्तु अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित समाचार पत्र और जो सामग्री प्रकाशित की गई उपलब्ध नहीं करवाई गई जिस से भुगतान की पुष्टि जांच नहीं की जा सकी अतः आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

(ix) वाउचर नं० 19 मास 4/95 राशि 13,500 रु

और वाउचर नं० 31 मास 5/95 राशि 11,250 रु

उपरोक्त राशियों रु० 13500/- और 11250 रु० का भुगतान प्रधान श्री सतीश कुमार, गौ रक्षक सभा समिति अर्की बाबत मुरम्मत गौशाला भवन हेतु किया गया। यह राशियाँ जिलाधीश सोलन से अनुदान के रूप में बाबत मुरम्मत गौशाला भवन हेतु प्राप्त हुई थी। परन्तु नगर पंचायत अर्की ने यह अनुदान राशियाँ प्रधान, गौ रक्षक सभा समिति को दान स्वरूप मुरम्मत हेतु स्थानान्तर कर दी थी। सचिव नगर पंचायत अर्की यह सुनिश्चित करें कि यह अनुदान राशि किन निर्देशों के अनुसार स्थानांतरित की गई और यह राशियाँ उसी कार्य (मुरम्मत) हेतु प्रयोग की गई जिस कार्य हेतु जारी की गई थी। इसके उपयोगिता प्रमाण पत्र भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये जिन्हें अगले अंकेक्षण में दिखाया जाये

वाऊचर सं० 316 मास 3/97 राशि 2507/-रु०
(X) वाऊचर सं० 317 मास 3/97 राशि 7625/-रु०

उपरोक्त राशियों का भुगतान मै० शर्मा ब्रदर्स आर्की को बिल सं० 508 दिनांक 8/11/96 और बिल सं० 509 दिनांक 21/11/96 बाबत सप्लाई ईंटें 4290 दर 1945/-रु० प्रति हजार कुल राशि 8340/-रु० और रेत 211 फुट दर 850/- प्रति की फुट से कुल राशि 1793/-रु० का किया गया जिसमें निम्न अनियमितताये पाई गई।

(1) ईंटें क्रय करने की निविदायें अंकेक्षण में उपलब्ध नही करवाई गई अतः ईंटे बिना निविदायें आमंत्रित किये क्रय करने को न्यायोचित ठहराया जावे और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से इस क्रय को नियमित करवाया जावे।

(2) उपरोक्त निर्माण सामग्री की प्रविष्टि भी भण्डारण रजिस्टर में नही दर्शाई गई।
अतः इसकी अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जावे।

(XI) वाऊचर सं० 320 मास 3/97 राशि 3838/-रु०

मुबलिग 3838/-रु० का भुगतान मै० प्रेम हार्डवेयर आर्की को बिल सं० 581 दिनांक शून्य बाबत सप्लाई करने सरिया का किया गया परन्तु अंकेक्षण में सरिया क्रय करने की निविदायें प्रस्तुत नही की गई और न ही भण्डारण रजिस्टर में इसकी प्रविष्टि दर्शाई गई। अतः सरिये का क्रय बिना निविदायें आमंत्रित किये न्यायोचित ठहराया जावे और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जावे।

(XII) वाउचर नं० 281 माह 3/95 राशि 11000 रु०

मुबलिग 11000 रु० का भुगतान श्री जय देव कौडल सप्लायर को बाबत सप्लाई करने रेत, बजरी पत्थर का किया गया विवरण निम्न है। बिल नं० 186 दिनांक 15.3.95

रेत 400 फुट दर 5 रु० प्रतिफुट = 2000 रु०
पत्थर 2000 दर 2.25 रु० प्रति पत्थर = 4500 रु०
बजरी 600 फुट दर 3.75 रु० प्रतिफुट = 2250 रु०
बोल्डर स्टोन (पत्थर) 600 फुट दर 3.75 रु० प्रतिघन फुट = 2250.00

11000

माप पुस्तिका 13 पृष्ठ 61 : परन्तु माप पुस्तिका पृष्ठ 61 पर जो निर्माण सामग्री संविदाकार द्वारा सप्लाई की गई उसका विवरण दर्ज नहीं किया गया जिस कारण से जो भुगतान संविदाकार को किया गया उसकी अंकेक्षण में जाँच नहीं की जा सकी अत: निर्माण सामग्री का पूरा विवरण अगले अंकेक्षण में दिखाया जाये।

(XIII) वाउचर नं० 18 माह 5/96 राशि 56,200 रु०

मुबलिग 56,200 रु० सहायक अभियन्ता विद्युत विभाग अर्की के कार्यालय में जमा करवाये गये यह राशि सांकनी एवं कुटु महादेव मन्दिरों में बिजली लगवाने हेतु जमा करवाये गये थे परन्तु इस राशि के जमा करने के प्राकलन व समापन/उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये। अत: इस राशि के प्राकलन और समापन/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर के अगले अंकेक्षण में दिखाया जाये।

वाऊचर सं० 151 से 157 मास 10/96 राशि 7734/- रु०

मुबलिग 7734/- रु० का भुगतान मै० गोयल ट्रेडर्स आर्की को बाबत सप्लाई करने बिजली के सामान हेतु किया गया जिसका विवरण निम्न है, इस भुगतान में निम्न अनियमिततायें पाई गई।

(1) अंकेक्षण में पाया गया कि दो फर्मो
(i) मै० गोयल ट्रेडर्स आर्की
(ii) मै० प्रेम हार्डवेयर आर्की

की ही निविदायें आमन्त्रित की गई जो कि रिकार्ड में थी जबकि नियमानुसार कम से कम तीन फर्मों की निविदायें आमन्त्रित करना आपेक्षित है अत: नियमों की अवहेलना करने का औचित्य स्पष्ट किया जावे।

(2) सरकार द्वारा अनुमोदित फर्मों से बिजली का सामान क्रय न करने का औचित्य भी स्पष्ट किया जावे, जिसकी अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें।

विवरण :-

वाऊचर सं०	दिनांक	राशि	बिल सं०	फर्म का नाम
151	10/96	3294/- रु०	4229 / 19-9-96	मै० गोयल ट्रेडर्स आर्की
152	10/96	1340/- रु०	4187 / 7-8-96	- यथोपरि -
153.	10/96	120/- रु०	4226 / 19-9-96	- यथोपरि -
154.	10/96	865/- रु०	4224 / 19-9-96	- यथोपरि -
155.	10/96	1830/- रु०	4222 / 19-9-96	- यथोपरि -
156.	10/96	280/- रु०	4230 / 19-9-96	- यथोपरि -
157	10/96	205/- रु०	4230A / 19-9-96	- यथोपरि -

(xv) वाउचर नं० 266 मार्च 3/95 राशि 147.00 रु०

मुबलिग 147.00 रु० का भुगतान मै० रवी स्वीट शाप अर्की को बाबत सप्लाई करने चाय, समोसा और बर्फी, 26 जनवरी, 1995 को मनाने हेतु दर्शाया गया परन्तु यह व्यय नगर पंचायत निधि पर उचित प्रभार नहीं था जिसे सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर के शीघ्र ही नियमित करवाया जाये और इस की अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

(xvi) वाउचर नं० 267 मार्च 3/95 राशि 108.00 रु०
और वाउचर नं०. 302 मार्च 3/95 राशि 103.00 रु०.

उपरोक्त राशियों का भुगतान मै० गुप्ता स्टोर अर्की को बाबत सप्लाई करने अखबार का किया गया परन्तु उसकी प्रतिदिन की हाजरी का रजिस्टर आवश्यक जांच हेतु अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसे आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाये।

(xvii) वाउचर नं० 26 मास 5/96 राशि 1105.00 रु०.

मुबलिग 1105.00 रु० का भुगतान मै० महाजन ग्लास हाउस अर्की के बिल नं० 1821 दिनांक 11-4.96, बाबत 65 वर्ग फुट प्लेन शीशा दर 17 रु० प्रति वर्ग फुट से किया गया इस का इन्द्राज एम० ए० एस रजिस्टर पृष्ठ 52 पर दर्शाया गया और इस का निपटारा माप पुस्तिका 95 पृष्ठ 85 द्वारा दर्शाया गया (मेज़रमेन्ट नं० 20/96) परन्तु माप पुस्तिका में 65 वर्ग फुट शीशे का विवरण नहीं दर्शाया गया जिस से इस के निपटारे की जांच नहीं की जा सकी अत: आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

(xvii) वाउचर नं० 348 माह 3/96 राशि 2300.00

मुबलिग 2300/- रु० का भुगतान मै० ठाकुर फर्नीचर हाउस अर्की को बतौर सप्लाई करने एक मेज का किया गया। इस भुगतान में निम्न अनियमितताएं पाई गई कि मेज का क्रय सरकार द्वारा अनुमोदित फर्मों से नहीं किया गया और न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था जिसको न्यायोचित ठहराया जाये।

(ख) तीन निविदाएं औपचारिकता हेतु श्री जितेन्द्र कुमार कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा हस्तगत इकट्ठी की गई थी जिसका विवरण निम्न है।

i) श्री सुदर्शन सिंह गांव चमयावली दिनांक 30/1/96 मु० 2400/- रु०
ii) श्री सुधामा राम गांव चमयावली दिनांक 30/1/96 मु० 2500/- रु०
iii) मै० ठाकुर फर्नीचर हाउस अर्की दिनांक 6/2/96 मु० 2300/- रु०

अत: निविदाओं को हस्तगत एकत्रित करने को न्यायोचित ठहराया जाये। निविदाओं में मेज का साईज, लकड़ी इत्यादि का भी विवरण नहीं था जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

अत: इस मेज के क्रय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत किया जाए।

(xviii) वाउचर नं० 303 माह 3/97 राशि 1372.00 रु०

मस्ट्रोल नं० 321 अवधि 1.2.97 से 28.2.97

बावत विभिन्न नगर पंचायत कार्य

मुबलिग 1372 रु० का भुगतान श्री नरेश कुमार और श्री रमेश कुमार को दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को मस्ट्रोल नं० 321 द्वारा किया गया परन्तु श्रमिकों द्वारा किये गये कार्य का विवरण मस्ट्रोल के भाग 2-3 पर और माप पुस्तिका में भी इन्द्राज नहीं दर्शाया गया जिस कारण से किये गये भुगतान की अंकेक्षण में जांच नहीं की जा सकी। अत: श्रमिकों द्वारा किये गये कार्य का विवरण दर्शाया जाये अन्यथा भुगतान की वसूली कर के नगर पंचायत निधि में जमा करवाया जाये और इसकी अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

(11) वाऊचर संख्या 125 मास 10/96 राशि 45000/-रु०
वाऊचर संख्या 204 मास 12/96 राशि 35000/-रु०

उपरोक्त राशियों का भुगतान मुरलीधरमापक राजकीय प्राथमिक पाठशाला अर्की को बाबत निर्माण करने पाठशाला के दो कमरों हेतु किया गया परन्तु इसकी वास्तविक प्राप्तकर्ता की रसीद अंकेक्षण में नहीं दिखाई गई, जिसे प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण प्रस्तुत किया जावे। मु० 90000/-रु० की अनुदान राशि दिनांक 23/8/96 को खण्ड विकास अधिकारी, कुनिहार से बाबत निर्माण राजकीय प्राथमिक पाठशाला के दो कमरों हेतु नगर पंचायत द्वारा प्राप्त की गई थी। परन्तु जिस पत्र के द्वारा यह अनुदान राशि मु० 90000/-रु० नगर पंचायत द्वारा प्राप्त की गई थी उसको अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसको अगले अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया जावे।

ii) नगर पंचायत ने निर्माण कार्य न करवा कर अपितु मु० 80000/- मुरलीधरमापक राजकीय प्राथमिक पाठशाला को वाऊचर सं० 125 एवं 204 द्वारा स्थानान्तरित कर दिया गया।

अतः सचिव नगर पंचायत यह सुनिश्चित करें कि इस राशि का उपयोगिता / समापन पत्र राजकीय प्राथमिक पाठशाला द्वारा भेज दिया गया है और अनुदान राशि का उपयुक्त प्रयोग किया गया है।

(12) वाऊचर संख्या 341 मास 3/96 राशि 1600/-रु०

मु० 1600/-रु० का भुगतान मै० राजू इन्जीनियरिंग वर्क्स अर्की को बिल नं० 140 दिनांक 9-02-96 बाबत ग्रिल 80 कि० ग्रा० दर 20/-रु० प्रति कि० ग्रा० की दर से किया गया, इसमें निम्न अनियमितताएँ पाई गई।

1) निविदायें अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसे आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया जावे।
2) बिल का भुगतान माप पुस्तिका में दिखाई / प्रविष्टि न कराने का औचित्य स्पष्ट किया जावे। , अतः आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें।
3) 80 कि० ग्रा० ग्रिल की प्रविष्टि भण्डारण / एम० एस० एस० रजिस्टर में नहीं दर्शाई गई।
अतः उपरोक्त चूकों की अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जावे।

(xxii) वास्तविक प्राप्तकर्ता की रसीदें :-

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत ने भुगतान किये परन्तु प्राप्तकर्ता कि वास्तविक रसीदें अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं थी, जिसका विवरण निम्न दिया जा रहा है, अतः इन वास्तविक रसीदें को अगले अंकेक्षण में उपलब्ध किया जाये।

वाऊचर न०	दिनांक/मास	राशि	विवरण
301.	3/97	549/00 रू०	श्री नरेश कुमार दैनिक वेतन भोगी श्रमिक
296.	3/95	50/- रू०	श्री हेम राज शर्मा
82.	7/96	125,545/- रू०	उपमण्डलाधिकारी अर्की (ना०) को भवन बाबत अनुदान राशि पार्क निर्माण हेतु।
63.	7/96	49,975/- रू०	भुगतान जिलाधीश सोलन बाबत विकास कार्यों में जन सहयोग
347.	3/97	450/- रू०	श्री हेमराज अंशकालिक पशु चिकित्सा अधिकारी
243.	1/97	25000/- रू०	प्रबंधक हि० प्र० अनुसूचित जन जाति निगम सोलन, ऋण की वापिसी।
72.	7/94	24000/- रू०	- यथोपरि -

(xxiii) वाउचर जो उपलब्ध नहीं करवाये : अंकेक्षण में निम्न वाउचर आवश्यक जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाये गये जिनको अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये।

वा० सं०	दिनांक	राशि	विवरण
175	9/95	17902.40	भुगतान श्री मोहन सिंह ठेकेदार बाबत निर्माण सुरक्षित चेंजिंग सैंटर
223	11/95	17,000.0	~ यथोपरि ~

XXVI
कोलैक्शन चार्जिज सम्बन्धी

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत ने चैक/ ड्राफ्ट कोलैक्शन के चार्जिज रोकड़ बही में व्यय में दर्शाये गये हैं, परन्तु इसका पूर्ण विवरण सम्बन्धित बैंकों से प्राप्त नहीं किया गया। जिसके कुछ उदाहरण निम्न दिये जा रहे हैं, अतः सचिव नगर पंचायत अर्की सम्बन्धित बैंकों द्वारा लिए गये कोलैक्शन चार्जिज का पूर्ण विवरण अगले अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया जाये ताकि कोलैक्शन चार्जिज की सत्यता की जाँच की जा सके।

माह	जमा की गई राशि का ब्यौरा	जमा राशि बैंक ड्राफ्ट/ चैक द्वारा रु०	बैंक कोलैक्शन चार्जिज
6/94	नेहरू रोजगार योजना ड्राफ्ट सं० 223380 दिनांक 26-5-94	40000-00 रु०	130-00 रु०
11/94	टेलीफोन विभाग	52940-00 रु०	169.00 रु०
12/94	सचिव, लोकल सैल्फ गवर्नमैन्ट हि० प्र०	20100-00 रु०	69.00 रु०
2/95	हिम फैड, शिमला	7800-00 रु०	20.00 रु०
5/95	टेलीफोन विभाग, शिमला चैक सं० 055292 दिनांक	25475-00 रु०	10.00 रु०
8/95	निदेशक शहरी विभाग शिमला ड्राफ्ट सं० 689058 दिनांक 22-5-95	35758-00 रु०	116-00 रु०
4/96	उपायुक्त, सोलन अनुदान एक कमरे लिए जी०डी० कालिज अर्की	71700-00 रु०	224-00 रु०
6/96	नेहरू रोजगार योजना ड्राफ्ट सं० 201122	31590-00 रु०	104-00 रु०
8/96	बी०डी०ओ० कुनिहार	180000-00 रु०	460-00 रु०
7/96	उपायुक्त सोलन	9,000.00 रु०	37.00 रु०
11/96	उपायुक्त सोलन	10,000.00 रु०	50.00 रु०

17. लघु आपत्ति विवरणिका

लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

18. निष्कर्ष: पैरा नं० 6 और 7 पर शीघ्र कार्यवाही की आवश्यकता है। लेखों के निरीक्षण एवं सुधारने की ओर आवश्यकता है।

हस्ताक्षरित
सहायक नियंत्रक (ले०प०)

ह०/- उप नियंत्रक (ले०प०)

संख्या-यू० एल० बी० -एच०(सी०)(15)-14/86-भाग-III -6370
शिमला दिनांक 25/5/02

प्रतिलिपि:

सचिव नगर पंचायत अर्की को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह अंकेक्षण-प्रतिवेदन पर समुचित कार्यवाही करते हुए टिप्पणी उक्त निदेशालय को अतिशीघ्र प्रस्तुत करें।

ह०/- उप नियंत्रक (ले०प०)
निदेशालय शहरी विकास
हि०प्र० शिमला-2